

RNI No.: MPBIL/2001/5256

DAVP Code : 128101

Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

Publish Date : Every Month Dt. 05

Posting Date : Every Month Dt. 15

Rs. 10/-

जगतविज्ञन

वर्ष : 25 अंक : 1

5 सितंबर 2024



क्या प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबोने की योजना में है भाजपा सरकार?



प्रेरणा स्रोत : स्व. श्री जगत पाठक



त्रिभुक्ति पत्रकारिता

संपादक
कार्यकारी संपादक
पश्चिम बंगाल ब्लूरो चीफ

विजया पाठक
समता पाठक
अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायक विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज
एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स ल्लाट नं. 28 सुरभि विहार
बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17,
शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया
पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय
रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख
एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.co.in

क्या प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबोने की योजना में है भाजपा सरकार?

(पृष्ठ क्र.-6)

■ विष्णु के सुशासन में बदल रही छत्तीसगढ़ के वनांचलों की तस्वीर	23
■ कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता	32
■ सबके लिए त्वरित न्याय की अवधारणा पर आधारित हैं नये आपराधिक कानून	44
■ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना निर्माण में मध्यप्रदेश आगे	48
■ बांग्लादेश में हुंकार भरते हिंदू	51
■ तालिबानी कुशासन के तीन साल, अफगान लोगों के लिए एक दुःस्वप्न की तरह ...	54
■ प्रतिबंध से विचार नहीं मिटते	58
■ मध्यप्रदेश में वनवासियों का संघर्ष	62
■ Laapataa Ladies': A meaningful engagement with	64
the aspirations of rural Indian women	



शाहाश बेटापिंता मत करो....
गृह विभाग अमीं भी हमारे पास हैं।



विजया

उत्तरप्रदेश के उपचुनाव और योगी की अग्नि परीक्षा

उत्तरप्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनके तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने अभी नहीं की है। लेकिन इसके पहले ही राजनीतिक दल इन सीटों पर रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इन उपचुनावों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे अधिक पसीना बहा रहे हैं। क्योंकि यह उपचुनाव सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वैसे भी राज्य में योगी के लिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अपने ही साथी उनके विरोधी बने बैठे हैं। उनकी योजनाओं का विरोध करने पर उतारूँ हैं। इन उपचुनावों के परिणामों को 2027 के विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इसके साथ ही योगी की प्रतिष्ठा भी इनके परिणामों पर टिकी है। यही कारण है कि इस उपचुनाव की कमान योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले रखी है। वह इन सभी सीटों का दौरा कर चुके हैं। वो अब तक पांच हजार करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। इस गठबंधन ने प्रदेश की 80 में से 43 सीटों पर कब्जा जमा लिया। इनमें से सपा ने 37 और कांग्रेस ने 4 छह सीटों पर जीत दर्ज की है। इससे बीजेपी परेशान है। वह उत्तर प्रदेश में अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाने की हर संभव कोशिश कर रही है। बीजेपी के खारब प्रदर्शन के लिए बीजेपी आलाकमान योगी को भी जिम्मेदार ठहरा रही है। उनकी नीतियों पर सवाल खड़ा कर रही है। इसके लिए बीजेपी और इंडिया गठबंधन तगड़ी तैयारी कर रहे हैं। इस उपचुनाव में भी बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती सपा और कांग्रेस का गठबंधन ही होगा। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पीड़ीए फार्मूला (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) काफी कारगर साबित होता जा रहा है। वो इन समुदायों के मुद्दों को लेकर लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री योगी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे अखिलेश यादव पर हमले कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताने में लगे हुए हैं।

इन चुनावों के लिए योगी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वह अपनों को भी साध रहे हैं और मतदाताओं को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे राजनीतिक विशेषज्ञ इन उपचुनावों में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं मान रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है उससे बीजेपी काफी परेशान दिख रही है। अब देखना होगा कि इन चुनावों में बीजेपी अपनी खोई प्रतिष्ठा को कैसे हासिल करती है।

विजया पाठक

प्रदेश सरकार पर

चार लाख
करोड़ का कर्ज

विजया:-)

क्या प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबोने
की योजना में है भाजपा सरकार?

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार हर माह कर्ज लेकर कर्ज के दल-दल में धंसती जा रही है। ऐसा कोई माह अछूता नहीं है जब सरकार कर्ज न ले रही हो। जिसके ही परिणाम है कि आज प्रदेश पर चार लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। हालांकि यह बात भी सच है कि प्रदेश को यह कर्ज विरासत में मिला है लेकिन वर्तमान सरकार भी कर्ज के भरोसे चल रही है। सरकार अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के बदले कर्ज लेने की व्यवस्था में लगी रहती है। सरकार 4.23 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी है। पिछले 15 महीने में ही सरकार 17 बार कर्ज ले चुकी है। 02 साल में 98 हजार करोड़ का कर्ज एमपी सरकार ने केंद्र से लिया है। अब फिर सरकार कर्ज लेने की तैयारी में है। बता दें अगस्त में एमपी सरकार 10 हजार करोड़ कर्ज ले चुकी है। पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी मोहन यादव सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला था। मप्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 42,500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिसमें से मोहन यादव सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च के बीच सिर्फ तीन महीनों में ही 17,500 करोड़ रुपये लगभग 41 फीसदी कर्ज लिया था। हाल ही में CAG ने अपनी रिपोर्ट में सरकार के बढ़ते राजकोषीय घाटे पर चिंता जताते हुए कहा था कि सरकार को ज्यादा कर्ज लेने के बजाय राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, नुकसान उठा रहे उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा कर उनमें सुधार की रणनीति बनाई जाना चाहिए। बजट तैयार करने की प्रक्रिया ऐसी हो, ताकि बजट अनुमान और वार्तविक बजट के बीच के अंतर को काम किया जा सके।

विज्या पाठ्क

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। विरासत में मिले इस कर्ज से मध्यप्रदेश की मोहन सरकार पर कर्ज का बंपर बोझ है। सरकार 4.23 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी है। पिछले 15 महीने में ही सरकार 17 बार कर्ज ले चुकी है। 02 साल में 98 हजार करोड़ का कर्ज एमपी

सरकार ने केंद्र से लिया है। अब फिर सरकार कर्ज लेने की तैयारी में है। बता दें अगस्त में एमपी सरकार 10 हजार करोड़ कर्ज ले चुकी है। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के विकास को लेकर लगातार कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन विकास का यह कार्य वे उधार लिये हुए पैसों से कर रहे हैं। सोचने

वाली बात यह है कि आखिर मध्यप्रदेश के सिर से कर्ज का यह बोझ कब समाप्त होगा। पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सालों तक 04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज प्रदेश पर छोड़ा है। वहीं, अब मोहन सरकार लगातार कर्ज लेकर प्रदेश के विकास की इबारत लिखने की तैयारी में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो

वह दिन दूर नहीं जब आरबीआई और विश्व बैंक प्रदेश की जनता से इन करोड़ों रुपये के उधार का कर्ज वसूल करने के लिये आतुर हो जायेगा।

एक महीने में दूसरी बार 5000 करोड़ का ऋण लेने की तैयारी 2038 तक कर्ज चुकाएगी सरकार

इसका ब्याज सरकार हर साल जमा करती रहेगी।

चालू वित्त वर्ष में सरकार का तीसरा लोन

06 अगस्त को लिए गए पांच हजार करोड़ कर्ज का 11 और 21 साल की अवधि में ब्याज का भुगतान करना तय

किया है। इस कर्ज की राशि अलग-अलग 2500-2500 करोड़ रुपये रही है। कर्ज लेने के बाद सरकार ने 1.29 करोड़ लाडली बहनों को राखी के लिए 250 रुपये और 1250 रुपये की मासिक किश्त, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बकाया एरियर्स की राशि का भुगतान किया था।



जानकारी के मुताबिक मोहन सरकार 5000 हजार करोड़ का कर्ज दो बार में ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपये के रूप में लेगी। वित्त विभाग ने नए लोन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग ने कहा है कि ढाई हजार-ढाई हजार करोड़ का यह कर्ज 28 अगस्त 2038 तक 14-14 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है।

**कर्ज लेने से बेहतर है
सरकार अपनी आर्थिक
स्रोतों से स्थिति
मजबूत करें**

चालू वित्त वर्ष में मोहन सरकार यह तीसरा कर्ज ले रही है।

मोहन यादव सरकार को 3.5 लाख करोड़ का कर्ज विरासत में मिला

पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी मोहन यादव सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला था। मप्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में




42,500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिसमें से मोहन यादव सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च के बीच सिर्फ तीन महीनों में ही 17,500 करोड़ रुपये लगभग 41 फीसदी कर्ज लिया था। मध्यप्रदेश सरकार को मुफ्त वाली योजनाएं भारी पड़ रही हैं। आर्थिक मामलों के जानकार कहते हैं कि कर्ज लेकर धी पीने की प्रवृत्ति घातक साबित हो सकती है। मध्यप्रदेश में भले खुद सरकार यह धी नहीं पी रही हो, लेकिन वह मुफ्त की रेवड़ी बांटकर लोगों को धी पिला रही है। यही कारण है कि अब प्रदेश सरकार कर्ज की सीमा में गले तक ढूब चुकी है। यह बात भी सही है कि प्रदेश में जारी बड़ी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कर्ज का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है।

भारी भरकम राशि का इंतजाम करना किसी चुनौती से कम नहीं बीते एक दशक में सरकार ने प्रदेश के

मतदाताओं के लिए बिजली पर अनुदान, कृषि के लिए अनुदान, विद्यार्थियों के लिए लैपटाप और स्कूटी, लाडली बहना योजना जैसी दर्जनों योजनाएं संचालित कीं। प्रदेश की जनता इससे लाभान्वित तो हो रही है, लेकिन इसके लिए भारी-भरकम राशि का इंतजाम करना किसी चुनौती से कम नहीं है।

कर्ज लेकर किसी तरह इन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, लेकिन अब इन योजनाओं के लिए राशि का इंतजाम करना सरकार को भारी पड़ने लगा है। अपने वादों को पूरा करने के लिए व्यय और आय के बढ़ते अंतर को कम करना बेहद आवश्यक है। इसके लिए सरकार को आय के नए

**मध्यप्रदेश सरकार को मुफ्त वाली योजनाएं भारी पड़ रही हैं।
आर्थिक मामलों के जानकार कहते हैं कि कर्ज लेकर धी पीने की प्रवृत्ति घातक साबित हो सकती है। मध्यप्रदेश में भले खुद सरकार यह धी नहीं पी रही हो, लेकिन वह मुफ्त की रेवड़ी बांटकर लोगों को धी पिला रही है। यही कारण है कि अब प्रदेश सरकार कर्ज की सीमा में गले तक ढूब चुकी है। यह बात भी सही है कि प्रदेश में जारी बड़ी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कर्ज का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है।**



विरासत में मिला कर्जा

यह बात सच है कि मोहन सरकार को विरासत में कर्ज मिला है लेकिन कर्ज लेने की प्रवृत्ति पुरानी सरकार ने अपनायी है वही प्रवृत्ति पुरानी सरकार ने अपनायी है वही, प्रवृत्ति वर्तमान सरकार अपना रही है। कहने को तो यह कर्ज मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए किया जा रहा है लेकिन आखिर इसका बोझ तो आने वाले समय में जनता को ही भुगतना पड़ेगा।

साधन खोजना होंगे। मुश्किल यहां भी यही होगी कि सरकार को आय बढ़ातरी के लिए विविध टैक्स बढ़ाने के विकल्प से बचना होगा।

पांच माह में 17500 करोड़ का कर्ज लिया


राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियत के प्रावधान के अनुसार, सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है। सरकार नियमों के अनुसार ही कर्ज लेने जा रही है। वर्ष 2024-25 में सरकार 65 हजार करोड़ तक कर्ज ले सकती है। पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी नई

सरकार को विरासत में 3.5 लाख करोड़ रूपये का कर्ज मिला है। उसने नवंबर से मार्च के बीच 17,500 करोड़ रूपये का नया कर्ज लिया है। हाल ही में CAG ने

अपनी रिपोर्ट में सरकार के बढ़ते राजकोषीय धाटे पर चिंता जताते हुए कहा था कि सरकार को ज्यादा कर्ज लेने के बजाय राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के दलदल में धंसती जा रही है। डॉ. मोहन यादव सरकार इस महीने एक बार फिर पांच हजार करोड़ कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज दो बार में ढाई-ढाई हजार करोड़ रूपये के रूप में लिया जाएगा, जिसकी भरपाई सरकार 14-14 साल की अवधि में करेगी। वित्त विभाग द्वारा इसी महीने लिए जाने वाले ढाई हजार करोड़ के नए लोन के लिए ऑक्शन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें कहा

मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के दलदल में धंसती जा रही है। डॉ. मोहन यादव सरकार इस महीने एक बार फिर पांच हजार करोड़ कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज दो बार में ढाई-ढाई हजार करोड़ रूपये के रूप में लिया जाएगा, जिसकी भरपाई सरकार 14-14 साल की अवधि में करेगी। वित्त विभाग द्वारा इसी महीने लिए जाने वाले ढाई हजार करोड़ के नए लोन के लिए ऑक्शन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें कहा



(विजयाः)

गया है कि ढाई हजार-ढाई हजार करोड़ का यह कर्ज 28 अगस्त 2038 तक 14-14 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है, जिसकी भरपाई सरकार इस अवधि में करेगी। इसका ब्याज सरकार हर साल जमा करती रहेगी। इससे पहले, छह अगस्त को मोहन सरकार ने पांच हजार करोड़ का कर्ज लिया था। मध्य प्रदेश सरकार का बजट करीब 4 लाख करोड़ का बजट है और

मध्यप्रदेश सरकार कर्ज लेकर धी पी रही है। प्रदेश पर पहले से ही 3.8 लाख करोड़ का कर्ज है। प्रदेश को कर्ज के दल-दल में दुबाने वाली सरकार के मुंह से यह नहीं सुना कि अगर प्रदेश पर कर्ज बढ़ रहा है तो सरकार फिजूलखर्च पर अंकुश लगा रही है।

**कमलनाथ
पूर्व मुख्यमंत्री, म.प्र.**

उससे ज्यादा कर्ज पहुंच गया है। राज्य सरकार औसतन हर महीने 2000 करोड़ का कर्ज ले रही है। इस महीने तो ये दस हजार करोड़ तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति पहले ही चिंताजनक है अब एक और नया कर्ज, एमपी सरकार के वित्तीय संकट के दलदल में फंसने का इशारा कर रहा है।

हाल ही में CAG ने अपनी रिपोर्ट में

साल 2003 तक राज्य पर सिर्फ 20,000 करोड़ रूपये का था कर्ज

जब साल 2003 तक प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय राज्य पर 20,000 करोड़ रूपये का कर्ज था। मध्यप्रदेश के प्रति व्यक्ति पर लगभग 3,300 रुपये का कर्ज उस समय था। लेकिन यह कर्ज समय के साथ-साथ दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ता चला गया। वर्तमान में सरकार पर लगभग लाख करोड़ रूपये से अधिक का कर्ज

है। सरकार लगभग 20,000 करोड़ रूपये ब्याज चुका रही है। इसके बाद भी मध्यप्रदेश में घोषणाओं का सिलसिला जारी है। इसी के चलते सरकार को कई बार हजारों करोड़ का कर्ज भी लेना पड़ा है।



सरकार के बढ़ते राजकोषीय घाटे पर चिंता जताते हुए कहा था कि सरकार को ज्यादा कर्ज लेने के बजाय राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, नुकसान उठा रहे उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा कर उनमें सुधार की रणनीति बनाई जाना चाहिए। बजट तैयार करने की प्रक्रिया ऐसी हो, ताकि बजट अनुमान और वास्तविक बजट के बीच के अंतर को काम किया जा सके।

राज्य सरकार औसतन हर महीने 2000 करोड़ का कर्ज ले रही है। इस महीने तो ये दस हजार करोड़ तक पहुंच गया है।

05 हजार करोड़ के लोन की है तैयारी

मध्यप्रदेश में चल रही योजनाओं पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। राज्य सरकार वित्तीय जरूरतें पूरा करने के लिए लगातार बाजार से कर्ज उठा रही है। सरकार एक बार फिर 05 हजार करोड़ का लोन लेने जा रही है। सरकार यह कर्ज दो किश्तों ढाई-ढाई हजार करोड़ के रूप में ले रही है। इसके

कर्ज लेकर थुरू की गई लाडली बहना योजना

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हौहान की जिस लाडली बहना योजना को भाजपा की बड़ी जीत की वजह माना जाता है। इसके लिए राज्य को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल, शिवराज सिंह हौहान



सरकार ने अकेले 2023 में 44,000 करोड़ रूपये का उधार लिया था। इसमें चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान लिए गए 5,000 करोड़ रूपये का कर्ज भी शामिल है। माना जाता है कि इसका बड़ा हिस्सा लाडली बहना योजना पर खर्च किया गया। अब, नई सरकार आने के बाद, राज्य सरकार का खजाना खाली है। वहीं, उसके पास चुनावी वादों की एक लंबी फेहरिस्त भी है।


पहले भी सरकार इसी माह 05 हजार करोड़ का लोन ले चुकी है। प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2024 की स्थिति में 03 लाख 75 हजार करोड़ का कर्ज हो चुका है। वित्तीय संकट को देखते हुए वित्त विभाग ने 33 विभागों की 73 योजनाओं पर पाबंदी लगाई है। यानी विभागों को इन योजनाओं पर पैसे खर्च करने के पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। हालांकि वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राशि निकालने से

प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2024 की स्थिति में 03 लाख 75 हजार करोड़ का कर्ज हो चुका है। वित्तीय संकट को देखते हुए वित्त विभाग ने 33 विभागों की 73 योजनाओं पर पाबंदी लगाई है।

पहले वित्त की मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि योजनाएं बंद हो गई हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को घेरा

भाजपा शासन के समय सबसे ज्यादा कर्ज लेने की बात से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खासे नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के दलदल में धंसती जा रही है। यह कर्ज दो बार में ढाई-



कर्ज के तले मध्य प्रदेश

सरकार ने कब, कितना लिया कर्ज

दौर्दी हजार करोड़ रुपये के रूप में लिया जाएगा। कर्जखोरी को लेकर कमलनाथ ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार कर्ज लो और घी पियो के सिद्धांत पर चल रही है। सरकार एक बार फिर से पाँच हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। प्रदेश पर पहले से ही 3.8 लाख करोड़ का कर्ज है। कमलनाथ ने कहा 'प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबाने वाली भाजपा सरकार के मुंह से आज तक यह नहीं सुना कि अगर प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है तो सरकार फिजूल खुर्च में कमी करने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है। लगातार कर्ज लेने के बावजूद न तो प्रदेश में निवेश बढ़ा है, न रोजगार बढ़ा है, न नौकरी बढ़ी है, न ही गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है और न ही लाइली बहनों को तीन हजार रुपये प्रति महीने दिए जा रहे हैं।

प्रदेश दिवालियेपन की कगार पर न पहुंच जाये

महीना

कर्ज की राशि

25 जनवरी 2023	2000 करोड़
02 फरवरी 2023	3000 करोड़
09 फरवरी 2023	3000 करोड़
16 फरवरी 2023	3000 करोड़
23 फरवरी 2023	3000 करोड़
02 मार्च 2023	3000 करोड़
09 मार्च 2023	2000 करोड़
17 मार्च 2023	4000 करोड़
24 मार्च 2023	1000 करोड़
29 मई 2023	2000 करोड़
14 जून 2023	4000 करोड़
12 सितंबर 2023	1000 करोड़
27 दिसंबर 2023	2000 करोड़
23 जनवरी 2024	2500 करोड़
7 फरवरी 2024	3000 करोड़
22 मार्च 2024	5000 करोड़
6 अगस्त 2024	5000 करोड़



कमलनाथ ने लिखा है कि जब समाज के किसी वर्ग के कल्याण में यह पैसा खर्च नहीं हो रहा तो ज़ाहिर है, यह सारा कर्ज भ्रष्टाचार की भेट चढ़ रहा है और सत्ता और संगठन मिलकर पैसे की बंदरबांट कर रहे हैं। अगर मोहन यादव सरकार इसी तरह कर्ज़

लेती रही तो प्रदेश दिवालियेपन की कगार पर पहुँच जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री यादव से कहा कि उन्हें अपनी वित्तीय नीतियों के बारे में फिर से सोचना चाहिए और इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे प्रदेश कर्ज़ के दलदल से बाहर आ सके।

06 अगस्त को लिया था पांच हजार करोड़ का कर्ज

उल्लेखनीय है कि इससे पहले, छह अगस्त को मोहन सरकार ने पांच हजार करोड़ का कर्ज लिया था। इसके बाद लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को

मध्यप्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर कमलनाथ ने उठाए सवाल, कहा- सरकार ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही



मध्य प्रदेश के उपर बढ़ते कर्ज को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 88,450 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। पहले से ही मध्य प्रदेश पर चार

लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। कमलनाथ ने कहा कि वर्तमान प्रस्तावित कर्ज के बाद मध्य प्रदेश पर लगभग 4.38 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा। कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार की हालत यह हो चुकी है कि अब इन्हें कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। यह गलत आर्थिक नीतियों और अधूरे फैसलों की देन है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सुझाव देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को और ज्यादा कर्ज के बोझ में दबाने की बजाय प्रदेश पर मौजूदा कर्ज को चुकाने और कर्ज मुक्त मध्यप्रदेश बनाने की दिशा में पहल करें।

राखी के लिए 250 रुपये और 1250 रुपये की मासिक किशत, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बकाया एरियर्स की राशि का भुगतान किया गया है। छह अगस्त को लिए गए कर्ज में 11 साल और 21 साल की अवधि में ब्याज का भुगतान करना तय

किया गया है। राज्य सरकार औसतन हर महीने 2000 करोड़ का कर्ज ले रही है। इस महीने तो ये दस हजार करोड़ तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति पहले ही चिंताजनक है अब एक और नया कर्ज, एमपी सरकार के वित्तीय संकट के दलदल

में फंसने का इशारा कर रहा है।
कैग भी जता चुका है राजकोषीय घाटे पर चिंता
हाल ही में कैग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार के बढ़ते राजकोषीय घाटे पर चिंता जताते हुए कहा था कि सरकार को ज्यादा

मध्यप्रदेश में हर शख्स 40 हजार रुपयों के कर्ज में फूबा!



मध्यप्रदेश में हर व्यक्ति पर 40,000 रुपये से ज्यादा का कर्ज है, जबकि मार्च 2016 के अंत में प्रति व्यक्ति अनुमानित कर्ज 13,853 रुपये के करीब था। इसका अर्थ है कि कर्ज में पिछले छह वर्षों में तीन गुना वृद्धि हो गई है। सरकार का औसत मासिक खर्च देखा जाए तो वो लगभग 22,000 करोड़ रुपये है। हालांकि चुनावी घोषणाओं के बाद यह 25,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है।

कर्ज लेने के बजाय राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, नुकसान उठा रहे उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा कर उनमें सुधार की रणनीति बनाई जाना चाहिए। बजट तैयार करने की प्रक्रिया ऐसी हो, ताकि बजट अनुमान और वास्तविक बजट के बीच के अंतर को कम किया जा सके।

इन योजनाओं पर लगाई गई पाबंदी
वित्त विभाग ने जिन 73 योजनाओं पर अनुमति लेना जरूरी किया है, उनमें नगरीय विकास एवं आवास योजना की 08 योजनाएं हैं। इसमें कायाकल्प अभियान,

● कर्ज के भरोसे से चल रही मोहन सरकार

● आखिर कब तक कर्ज लेती रहेगी सरकार

महाकाल परिसर विकास योजना, नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण, एमनी अर्बन डबलपर्मेंट प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा कृषि विभाग की समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपाजन पर बोनस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना, ऋण समाधान योजना, औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास, डेस्टनेशन मध्यप्रदेश इंवेस्ट ड्राइव, क्लस्टरों की स्थापना, वेदांत पीठ की स्थापना, रामपथ गमन अंचल विकास योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी



मध्यप्रदेश सरकार पर कितना कर्ज

मध्यप्रदेश पर 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 4.18 लाख करोड़ का कर्ज था। यह जानकारी वीडी शर्मा के सवाल पर केंद्र सरकार के मंत्री ने संसद में दी थी। 6 अगस्त को मोहन सरकार ने 5000 करोड़ का कर्ज और ले लिया। अब एमपी सरकार पर कुल 4.23 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। मार्च 2023 में मध्यप्रदेश पर 3.65 लाख करोड़ का कर्ज था। 2022 में कर्ज की स्थिति 3.25 लाख करोड़ थी। प्रदेश सरकार पिछले 02 साल में 98 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है।

योजना, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य का नवीनीकरण, लाडली बहना आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण, ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन, मां तुझे प्रणाम, स्टेडियम एवं अधोसंरचना निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन 52 योजनाओं से हटाइ गई रोक वर्हों, वित्त विभाग ने 52 योजनाओं से

**अनेकों योजनाओं
का पैसा चढ़ रहा
भ्रष्टाचार की भैंट**

खर्च की पाबंदी को खत्म कर दिया है। जुलाई माह में वित्त विभाग ने 47 विभागों की 125 योजनाओं पर रोक लगाई थी। इसमें से 52 पर रोक हटा ली गई है। बताया जा रहा है कि आरबीआई से कर्ज लेने के बाद इन विभागों से रोक हटा ली गई है। उधर, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सतेन्द्र जैन के मुताबिक प्रदेश में कोई भी योजना बंद नहीं हुई है। वित्त विभाग की अनुमति लेना



वित्तीय अनुशासन की प्रक्रिया होती है। प्रदेश सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। लगातार नई योजनाओं पर काम हो रहा है और पुरानी योजनाओं का भी लाभ लोगों को मिल रहा है। इधर, कांग्रेस ने सरकार द्वारा लगातार कर्ज लिए जाने को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता आरोप लगाते हैं सरकार की अधिकांश योजनाएं कर्ज लेकर चल रही हैं। जानकारों का मानना है कि सरकार फ्री की रेवड़ी पर ही हर साल करीब 25 हजार रुपये खर्च कर रही है। अब पूरे वर्ष के लिए सरकार ने राशि तय की है।

मध्य प्रदेश पर फ्री बीज योजनाएं भारी पड़ रही हैं। आर्थिक मामलों के जानकार कहते हैं कि कर्ज लेकर घी पीने की प्रवृत्ति घातक साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में भले खुद सरकार यह घी नहीं पी रही हो लेकिन वह फ्री की रेवड़ी बांटकर लोगों को घी पिला रही है। यही कारण है कि अब प्रदेश

सरकार कर्ज की सीमा में गले तक ढूब चुका है। लाडली बहना योजना के चलते सरकार की आर्थिक स्थिति पंगु हो रही है। अब प्रदेश सरकार अब तक का सर्वाधिक कर्ज लेने की तैयारी में है। यह कर्ज 88 हजार 540 करोड़ रुपये का होगा। मप्र सरकार, 73 हजार 540 करोड़ रुपये बाजार से और 15 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार से कर्ज लेगी।

पिछले साल की तुलना में 38 फीसदी अधिक कर्ज

पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले यह कर्ज 38 प्रतिशत ज्यादा है। गौरतलब है कि साल 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार ने 55 हजार 708 रुपए का कर्ज लिया था। हालांकि सरकार निश्चित हैं, ज्यादा कर्ज लेने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवडा कहते हैं कि सबकुछ नियम के अनुसार ही लिया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार विकास के लिए कर्ज लेती भी है और समय पर उसका भुगतान

कर्ज लेकर घी पीने की प्रवृत्ति घातक साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में भले खुद सरकार यह घी नहीं पी रही हो लेकिन वह फ्री की रेवड़ी बांटकर लोगों को घी पिला रही है। यही कारण है कि अब प्रदेश सरकार कर्ज की सीमा में गले तक ढूब चुका है।



भी करती है।

नुकसानदायक हो सकता है कर्ज

पिछले साल के बजट को देखें तो पता चलता है कि सरकार की फिलहाल कुल आय 2.52 लोख करोड़ रूपए है, जबकि राजस्व खर्च 2.51 लाख करोड़ रूपए है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार की आय के मुकाबले खर्च ज्यादा हो रहा है, इसलिए कर्ज नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन अगर सरकार अपने आय के स्रोत बढ़ा लेती है तो कर्ज लेना कोई समस्या का कारण नहीं बनेगा।

किस योजना पर कितना खर्च

लाडली बहना योजना

विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू की थी। वर्तमान में 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को हर महीने 1250 रूपए दिये जा रहे हैं। इस योजना पर हर साल 18 हजार करोड़ रूपए खर्च हो रहे हैं। यह राशि अकेले किसी विभाग के बजट

से ज्यादा है।

फ्री बिजली

सरकार प्रदेश के उन नागरिकों को 100 रुपए हर महीने बिजली दे रही है, जो हर महीने 100 यूनिट बिजली खपत करते हैं। जबकि प्रति यूनिट चार्ज 10 रुपये हैं, ऐसे में सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। योजना

पर 5500 करोड़ रूपए खर्च हो रहे हैं।

कृषि पंपों पर सब्सिडी

17 हजार करोड़ रूपए हर साल का खर्च।

450 रुपये में सिलेंडर

एक हजार करोड़ रूपये हर साल का खर्च।

पिछले फाइनैशियल ईयर में लिया इतना कर्ज

पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी मोहन यादव सरकार को 3.5 लाख करोड़ रूपये का कर्ज विरासत में मिला था। मप्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 42,500 करोड़ रूपये का कर्ज लिया था। जिसमें से मोहन यादव सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च के बीच सिर्फ तीन महीनों में 17,500 करोड़ रूपए लगभग 41 फीसदी कर्ज लिया था।

वित्त विभाग ने दिया था निर्देश


पिछले महीने विधानसभा में राज्य का बजट पेश होने के बाद वित्त विभाग ने निर्देश

मध्य प्रदेश सरकार पर इस वित्तीय वर्ष में चार लाख करोड़ रूपये से अधिक का कर्ज हो जाएगा। इसी के साथ मध्यप्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति श्री 50 हजार रूपये से अधिक का कर्जदार हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कुल बजट की बात करें तो 3.65 लाख करोड़ रूपये का बजट है, लेकिन इससे अधिक मध्यप्रदेश सरकार पर कर्ज है।

भ्रष्टाचार की भैंट चढ़ रहा अनेकों योजनाओं का पैसा

ऐसा भी नहीं है कि मध्यप्रदेश में अनेकों योजनाओं के माध्यम से विकास के कार्य न हो रहे हो लेकिन यह भी सत्य है कि इन योजनाओं का बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भैंट चढ़ रहा है। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के लिए सरकार कर्ज तो ले लेती है और योजनाओं का बजट भी काफी बड़ा लेती है लेकिन ये बड़ा हुआ बजट विभाग प्रमुखों से लेकर नीचे स्तर तक बट्टा जाता है।

आबकारी विभाग से ही हम देख सकते हैं कि शाराब और इनके ठेकों से सरकार को हजारों करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है लेकिन इसमें भी बड़े स्तर पर बंदरबांट होती है। मंत्री से लेकर नियन्त्रित स्तर के शासकीय अधिकारी/कर्मचारी गोरखधंधा करते हैं। ऐसा ही हाल पेट्रोलियम पदार्थों का है। पेट्रोलियम पदार्थों से भी सरकार को काफी राजस्व प्राप्त होता है। विभिन्न कर लगातार जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। आखिर ये पैसा कहां जा रहा है और कर्ज पर कर्ज लेने की नौबत आ रही है। आम जनता को रियासत देने की बजाय मंहगाई का बोझ बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद भी सरकार यदि कर्ज के दल-दल में फंसती जा रही है तो यह चिंतनीय है।



दिया था कि 125 योजनाओं में पैसा वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता है। प्रभावित 47 विभागों के अंतर्गत आने वाली 125 योजनाओं में कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं। इनमें महाकाल परिसर विकास योजना,

लाइली लक्ष्मी योजना, तीर्थ यात्रा योजना, रामपथ गमन क्षेत्रीय विकास, पीएम जन आरोग्य योजना यानि आयुष्मान भारत भी शामिल हैं।

लाइली बहना योजना में हर महीने 1600 करोड़ की जरूरत

सरकार की प्रमुख वित्तीय जिम्मेदारियों में लाइली बहना योजना का भुगतान भी शामिल है, जिसके लिए हर महीने करीब 1,600 करोड़ रुपये की जरूरत होती है। यह योजना पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी। इसे भाजपा के



मध्यप्रदेश सरकार भले ही 4 लाख करोड़ से अधिक कर्ज में है लेकिन बात जब सरकार की वीआईपी कल्चर पर आती है तो उसमें सरकार कोई समझौता नहीं करती। हम अक्सर देखते हैं कि जब मंत्री नेताओं की सुख सुविधाओं की बात आती है तो सता में बैठी सरकार झटके में करोड़ों रूपये खर्च करने को तैयार हो जाती है। जबकि जब सरकार इस तरह की शान शौकत वाली फिजूलखर्ची टोक कर काफी हद तक राजस्व की बचत कर सकती है।

लिए गेम चेंजर बताया गया था। इस योजना के लिए अभी तक धन की कोई कमी नहीं है। इसी तरह सरकार नया सरकारी विमान खरीदने, मंत्रियों के लिए कार खरीदने और मंत्रियों के बंगलों के रिनोवेशन पर भी पैसा खर्च करने से पीछे नहीं हटी है।

लोन का इस्तेमाल विकास परियोजनाओं में

राज्य का बजट पेश करने के एक सप्ताह बाद 10 जुलाई को मप्र सरकार ने राज्य के लिए 230 करोड़ रुपये से अधिक की लागत का जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अगले कुछ महीनों में मंत्रियों के बंगलों के रिनोवेशन पर कम से कम 18 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं। मई में

सरकार ने मंत्रियों के लिए करीब 5 करोड़ रूपये की एसयूवी खरीदने का ऑर्डर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि हर लोन के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली जाती है। वित्तीय स्थिति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लोन लेने की सीमा तय की गई थी। सरकार द्वारा लिए गए लोन का इस्तेमाल राज्य में लागू की जाने वाली उत्पादक विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

अगस्त में यह इस वित्तीय वर्ष का दूसरा कर्ज होगा

अगस्त में यह इस वित्तीय वर्ष का दूसरा कर्ज होगा। मध्य प्रदेश सरकार पर इस वित्तीय वर्ष में चार लाख करोड़ रूपये से

अधिक का कर्ज हो जाएगा। इसी के साथ मध्यप्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति भी 50 हजार रूपये से अधिक का कर्जदार हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कुल बजट की बात करें तो 3.65 लाख करोड़ रूपये का बजट है, लेकिन इससे अधिक मध्यप्रदेश सरकार पर कर्ज है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य के तमगे से बाहर आ चुका है, इसका दूसरा पहलू यह है कि यह तमगा हमें कर्ज की नींव पर मिला है। चुनाव से कुछ समय पहले ही लागू की गई योजनाओं और वादों को निभाने के कठिन कार्य को पूरा करने में जुटी प्रदेश की मोहन यादव सरकार बाजार से कर्ज लगातार कर्ज ले रही है।



विष्णु के सुथासन में बदल रही छतीसगढ़ के कनांचलों की तस्वीर



छत्तीसगढ़ में नई सरकार की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही बनाचलों में विकास की रोशनी पहुंचाने, प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए पहल शुरू की है। बस्तर अंचल के अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैम्पों का विस्तार किया जा रहा है।

नियद नेलानार योजना शुरू की गई है। इस शब्द का आशय आपका अच्छा गांव। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई। पीएम जनमन योजना की तरह इस योजना से कैम्पों के बिकट पंच किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाएं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ बनाचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है। इस पहल का ही परिणाम है कि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गारंटी का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही राज्य में फिर से विकास के लिए नया वातावरण बना है। साय का मानना है कि लोकतंत्र का मूलमंत्र सुशासन है। सुशासन के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती।

जनजातीय वर्ग की अर्थव्यवस्था हो रही मजबूत विष्णु के सुशासन के 08 माह से सँवर रहा है छत्तीसगढ़

विजया पाठ्क

प्रदेश सरकार ने भूमिहीन किसानों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार रुपए वार्षिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी 68 लाख परिवारों को अगले 05 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। प्रदेश सरकार ने अपने बायदों को पूरा करते हुए किसानों से 3100 रुपए प्रति किवंटल की दर से और

21 किवंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी की। प्रदेश में रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। प्रदेश में कृषि हितेषी नीतियों की वजह से खेती-किसानी में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है।

सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी पर काम करना शुरू किया और मात्र 08 माह में ही अधिकांश

गारंटियों को पूरा कर दिखाया। इतने कम समय में जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए यह उनकी प्रशासनिक कुशलता और सफल नेतृत्व का द्योतक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 8 माह की अल्पावधि में कई जन हितकारी फैसलों को समाज के हर वर्ग की तरकी और खुशहाली अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय बाब्य को



लेकर जनता की दिन-रात सेवा कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने एक और गारंटी को पूरा करने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत की। छत्तीसगढ़ को गढ़ने और संवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को राज्य के लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 2 साल के धान का बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रुपए की अंतर राशि अंतरित की गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने

वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मोदी की इस गारंटी पर त्वरित अमल करते हुए पिछले सरकार के कार्यकाल में राज्य

महतारी वंदन योजना से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को राज्य के लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 2 साल के धान का बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रुपए की अंतर राशि अंतरित की गई।

सिविल सेवा परीक्षा (पीएससी) 2021 में हुई गडबड़ी और अनियमितता की जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया है। राज्य सरकार ने जनहित को देखते हुए महादेव सद्वा एप केस भी सीबीआई को सौंपा। इसके अलावा बेमेतरा जिले के बिरनपुर प्रकरण की भी सीबीआई जांच करने का भी निर्णय लिया है। विष्णु देव सरकार ने मोदी की गारंटी के अनुरूप श्री रामलला दर्शन योजना शुरूआत की है। भारत में अपने आप में यह एक अनूठी और अनुकरणीय योजना है। इस योजना में श्रद्धालुओं को सरकारी खर्च में अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है। प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ माना गया है। इस कारण वे हमारे लिए और अधिक

पूजनीय है। अपने भांचा राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक उत्सुक है।

मुख्यमंत्री साय ने शपथ के कुछ ही घंटों के भीतर 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया। सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन के लिए 4 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 39 लाख 31 हजार परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन के लिए 4 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 39 लाख 31 हजार परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।

दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को 4000 रुपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए कर दिया है। इस साल 13 लाख 5 हजार

तेंदूपत्ता संग्राहकों को 855 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गई है। राजधानी रायपुर

प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ नंबर-1





छत्तीसगढ़ सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत की संकल्पना के अपने विजन के क्रियान्वयन के लिए आईआईएम एवं देश भर की प्रतिष्ठित संस्थाओं के विषय विशेषज्ञों के साथ मंथन किया।

के नालंदा परिसर की तरह प्रदेश के 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सीआईएमएस) आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 01 नवंबर 2024 को लागू की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा नवा रायपुर को आईटी हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेशनल केपिटल रीजन (एनसीआर) की तरह राज्य सरकार भी स्टेट केपिटल रीजन विकसित करने जा रही हैं। उद्यमी युवाओं को छत्तीसगढ़ उद्यम

क्रांति योजना के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्तश्वाप्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सकेगा।

विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने जुटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव

**छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय
के नेतृत्व वाली भाजपा
सरकार पूरी तरह से एक्शन
में है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में
मंत्रीमंडल और उसके सदस्य
मिलकर लगातार जनकल्याण
की योजनाओं को
अमलीजामा पहनाने में जुटे
हुए हैं।**

साय

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रीमंडल और उसके सदस्य मिलकर लगातार जनकल्याण की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच साय सरकार द्वारा किये जा रहे नवाचारों की चर्चा अब न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी हो रही है। पिछले दिनों अपनी तरह की अनूठी पहल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत की संकल्पना के अपने विजन के क्रियान्वयन के लिए आईआईएम एवं देश भर की प्रतिष्ठित संस्थाओं के विषय विशेषज्ञों के साथ मंथन किया। रायपुर आईआईएम में आयोजित इस दो दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया। शिविर

में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा तथा मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों ने भी हिस्सा लिया। इस तरह से देश में विषय विशेषज्ञों के साथ बौद्धिक विमर्श और चिंतन शिविर गुजरात में आयोजित किया गया था।

विशेषज्ञों से संवाद में निकला विकास का आयाम

देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का पूरा मंत्रिमंडल प्रदेश को संवारने एवं विकास को नया आयाम देने विद्यार्थी भाव से विचार-विमर्श करने जुटा है और अपने क्षेत्र के माने हुए विषय विशेषज्ञों से संवाद कर रहा है। प्रदेश के नेतृत्व द्वारा इस तरह से अनूठी पहल करते हुए विशेषज्ञों से बौद्धिक विचार-विमर्श कर प्रदेश को संवारने के लिए आज सार्थक चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बनाये गये विजन के क्रियान्वयन के लिए आज दिन भर हुए सत्रों में गहन विचार विमर्श किया गया। जैसे कोई कृषक बड़ी मेहनत से खेती के लिए अपनी जमीन तैयार करता है वैसा ही



महतारी वंदन योजना

विकसित छत्तीसगढ़ के स्वप्न को मूर्त रूप देने छत्तीसगढ़ का शीर्ष नेतृत्व जुटा, जो विजन तैयार किया गया है उसे प्रभावी बनाने

विषय विशेषज्ञों से राय ली गई ताकि उनके सुझाव लेकर विजन के क्रियान्वयन को पैनापन दिया जा सके।





विकास की संभावनाओं पर हुई चर्चा

चिंतन शिविर में तय किया गया कि विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को समाज के सभी वर्गों के बीच ले जाना है। सबको जागरूक कर और उनकी भागीदारी लेकर विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को पूरा किया जाना है। शिविर में विषय विशेषज्ञों के साथ देर तक चर्चा हुई और छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को लेकर बारीकियों पर बात हुई।

विकसित भारत 2047 बनाने का संकल्प


नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने विकसित भारत की संकल्पना और इसे प्राप्त करने की रणनीति के संबंध में विस्तार से अपनी बातें साझा की। उन्होंने कहा कि बीते दस सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047

बनाने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करने की रणनीति बनाई है। सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्केल, स्पीड और इनोवेशन पर जोर देते हैं। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और समय को देखते हुए विकसित भारत का विजन तैयार किया

गया है ताकि भारत अपनी विशिष्ट जगह बना सकें। उन्होंने कहा कि अब दुनिया की निगाहें ग्लोबल साउथ पर हैं।

महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

अब दुनिया का नजरिया पश्चिम से पूर्व की ओर देखने का है और भारत इन





राज्य के छात्रों को शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने की छत्तीसगढ़ में हुई पहल

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। लाइब्रेरी को नॉलेज बेस्ड सोसायटी यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में स्थापित किया जाएगा। इस लाइब्रेरी से उन छात्राओं को मदद मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके साथ ही अलग-अलग एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को भी मदद मिलेगी।

शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने का संकल्प

वित्त मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री विष्णुवेद साय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने संकल्पित है। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की सौगात दी है, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है।

500 और 200 सीटर लाइब्रेरी का होगा निर्माण

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इन लाइब्रेरियों का निर्माण सभी 13 नगरीय निकाय क्षेत्रों में किया जाएगा जिसके छात्रों को अपनी तैयारी करने में मदद मिले।

वित्त मंत्री ने बजट में की थी घोषणा

यह उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा, जो छोटे शहरों में रहकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं या फि र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी निर्माण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने मुख्य बजट भाषण में भी इसका जिक्र करते हुए कहा था कि युवाओं के अध्ययन के लिए नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी निर्माण किया जाएगा।

युवाओं के लिए प्रेरणा

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन केंद्रों को नॉलेज बेस्ड सोसायटी यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और सरकार के लिए एक आदर्श बन सके।

संभावनाओं को पूरा करने के लिए सक्षम है। भारत की जनांकिकी, भारत की

रणनीतिक स्थिति और भारत में तेजी से हुए सुधारों से इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए

भारत तैयार है। उन्होंने कहा कि जब हम विजन लेकर चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से



हमें एक गाइड मैप मिल जाता है और इसके अनुरूप हम बढ़ते जाते हैं। सुब्रमण्यम ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में छत्तीसगढ़ की अहम भागीदारी होगी। छत्तीसगढ़ में विकसित राज्य बनने के लिए और तीव्र विकास के लिए असीम संभावनाएं हैं और इस दिशा में आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ अपने विकास के साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है

चिंतन शिविर में स्वास्थ्य, अधोसंरचना, खनन, लोकवित्त जैसे बुनियादी विषयों पर चर्चा हुई जिनमें बारीकी से कामकर और सही रणनीति बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ और लोगों की समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। स्वास्थ्य में अधोसंरचना पर जोर दिया गया। कोविड जैसी आपदाओं से भविष्य में निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था

को पूरी तरह से चाकचौबंद रखने पर जोर दिया गया। साथ ही इस क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने और निरंतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने चर्चा की गई।

प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग

प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग विषय पर भी चर्चा हुई। खनन में अनेक

चिंतन शिविर में स्वास्थ्य, अधोसंरचना, खनन, लोकवित्त जैसे बुनियादी विषयों पर चर्चा हुई जिनमें बारीकी से कामकर और सही रणनीति बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ और लोगों की समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।

राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाने के संबंध में बात हुई। साथ ही खनन के पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कार्य करने की जरूरत पर जोर दिया गया। आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किए जाने पर विशेष फोकस दिया गया। शहरों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भीतरी सड़कों के विकास पर बल दिया गया ताकि विकसित अधोसंरचना के माध्यम से आर्थिक समृद्धि सभी क्षेत्रों तक बराबरी से पहुंच पाए। लोक वित्त पर भी गहनता से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ की ताकत सरप्लस रेवेन्यू, फि स्कल डिसिप्लिन, लो डेव्ह एंड जीडीपी रेश्यो, खनिज एवं वनसंपदा पर जोर देते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, फसल वैविध्य, उद्योगों और टूरिज्म के अनुरूप मानव संसाधन को दक्ष बनाने की जरूरत पर बल दिया गया।



कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता बेरवीफ दरिंदे बेबस सरकारें

कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या ने पूरे देश को झँकझोर कर रख दिया है। इस बर्बरता के खिलाफ पूरे देश में रोष है। डॉक्टर सङ्कों पर हैं। पीड़िता का परिवार और पूरा देश न्याय की मांग कर रहा है। सभी यहीं चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी तरह का एक और मामला भी पिछले दिनों सामने आया। जहां, उत्तराखण्ड के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली नर्स के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और उसकी बॉडी कई दिन बाद मिली। इससे पहले भी न जाने कितने ऐसे केस हुए हैं और न जाने कितनी ही ऐसी खबरें लगातार चर्चा में आ रही हैं। कुछ केस चर्चा में आ जाते हैं। कुछ को न्याय मिल जाता है। कुछ कोर्ट की तारीयों में सिमटे रह जाते हैं और कुछ रेप पीड़िता अपने साथ हुई दरिद्री के बारे में बात करने से भी डरती हैं। बेशक आजादी के 78 साल बाद भी अगर महिलाएं खुद को आजाद और सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं और हमें आए दिन इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो यह एक बड़ा सवाल है। इस घटना के बाद देश एक बार फिर शर्मसार हुआ है। कोलकाता की घटना ने राज्य की ममता सरकार को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्षी पार्टियों के दबाव के चलते मुख्यमंत्री सकते में हैं। वहीं देश के साथ राज्य के सभी पेशेवर डॉक्टर्स में काफी रोष व्याप्त है। धरना, प्रदर्शन और हड्डताल पर जाकर विरोध जता रहे हैं। वहीं पीड़ित के परिवारजनों को न्याय दिलाने की आवाजें लगातार उठ रही हैं। इन सब के बीच देश के अंदर एक बार फिर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों की बात सामने आ गई है। निर्भया केस बेशक हमको याद है। उस केस के आरोपियों को फांसी की सजा हो चुकी है।

विजया पाठक

कोलकाता डॉक्टर ने अपनी जिंदगी गवाई। इतना दर्द झेला कि शायद सोचकर भी किसी की आंखों में आंसू आ जाएं। इससे पहले भी न जाने कितनी लड़कियां इस तरह के अपराधों का शिकार हो चुकी हैं। बेशक, ऐसे मामलों में कड़े कानून और कड़ी से कड़ी सजा की जरूरत है। लेकिन, महिलाओं के खिलाफ होने वाले इन अपराधों को रोकने के लिए, सबसे जरूरी हमारी सोच को बदलना है। कहीं ऐसा न हो जाए कि देवी को पूजने वाले इस देश में हमें हमारे लड़की होने पर ही अफसोस होने लगे। हालाँकि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है।

भारतीय समाज में महिलाएँ एक लंबे समय से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही हैं। हमारी विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी

जघन्य हिंसा और अपराध का शिकार हो रही हैं। उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन क्या

हम कभी ये सोचते हैं कि आखिर वे कौन-सी महिलाएँ हैं जिनके साथ हिंसा होती है या उनके साथ हिंसा करने वाले लोग कौन है? हिंसा का मूल कारण क्या है और इसे खत्म कैसे किया जाए? जाहिर सी बात है, हम में से अधिकांश लोग कभी भी इन प्रश्नों पर

विचार नहीं करते हैं। इसके विपरीत हम जब भी किसी महिला के साथ हिंसा की खबर देखते या सुनते हैं तो उस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय अपने घर

एक बार फिर शर्मसार हुआ देश

योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यावहारिक रिवाज आज भी व्याप्त हैं। आज महिलाएँ एक तरफ सफलता के नए-नए आयाम गढ़ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएँ



की महिलाओं, बहनों और बेटियों पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगा देते हैं, जो स्वयं एक प्रकार की हिंसा ही है। इन्हीं सब कारणों के चलते संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कोलकाता और देशभर में रोषपूर्ण प्रदर्शन भड़क उठे, जिन्हें मुख्यतः अस्पतालों में मेडिकल छात्रों और स्नातकोत्तरों का समर्थन मिला, जो लोगों के इलाज में लगे होने के कारण अपनी सुरक्षा और सलामती की मांग कर रहे थे। देश में सालों से, डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं डॉक्टरों और मरीजों के बीच शांति बिगड़ती रहती हैं। पिछले साल, केरल में मानसिक बीमारी से ग्रस्त एक मरीज द्वारा डॉ. वंदना दास की हत्या हालिया इतिहास है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि डॉक्टरों के लिए, नीरस कामकाजी स्थितियां, काम का अमानवीय बोझ और कार्यस्थल पर उत्पीड़न हकीकत है। यहां तक कि हिंसा द्वारा मुश्किल बढ़ाये जाने के बिना भी

क्या हुआ था उस रात लेडी डॉक्टर के साथ

कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की वारदात 8-9 अगस्त 2024 की रात की है। इसका खुलासा तब हुआ जब कोलकाता के राधा गोबिंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन तीन और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें दो डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट थे, एक ट्रेनी थी। एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब दो बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। इसके बाद संजय रॉय नाम का आरोपी पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस लड़की की निर्ममता से हत्या की और फिर उसका रेप किया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। वो कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलटियर का काम करता था। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता, तो संजय रॉय उसकी दवाइयां लाने के लिए और उसकी दूसरी मदद के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लोकिन जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन ये अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखे थे। फिर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को सुबह करीब 4.45 बजे सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़खड़ करने की कोशिश भी की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने घटनास्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 (बलात्कार) और 103 (हत्या) के तहत केस दर्ज है।

विपक्ष के हमले पर ममता के चेहरे पर पिंता की लकीरें



ममता बनर्जी सरकार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। भाजपा और सीपीएम तो आक्रामक तौर पर उसका विरोध कर रही है, कांग्रेस भी मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणियां कर रही है। इनमें राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। ममता ने कोलकाता के मौलाली से धर्मतल्ला इलाके तक करीब डेढ़ किमी की पदयात्रा की। पार्टी के तमाम सांसद और नेता उनके साथ इस पदयात्रा में शामिल थे। उन लोगों का एक ही नारा था कि दोषियों को सज़ा देनी होगी। उनको फांसी पर लटकाना होगा। उन लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर और बैनर ले रखे थे और कुछ लोगों ने अपने गले में इसी मांग में तख्ती भी टांग रखी थी। ममता हाथ जोड़े सबसे आगे चल रही थीं। अपने स्वभाव के अनुरूप ही वो बीच-बीच में रुक कर आम लोगों से भी बात कर रही थीं। लेकिन उनके चेहरे पर अमूमन रहने वाले आत्मविश्वास की जगह चिंता की लकीरों ने ले रखी थी। यह कहना ज्यादा सही होगा कि पदयात्रा के दौरान यह लकीरें कुछ गहरी ही नज़र आ रही थीं।

हालात दुश्वार हैं। डॉक्टरों और उनके कार्यस्थल की हिफाजत के लिए कानून लाने के 2019 के प्रस्ताव को छोड़ देना एक चूक थी और अब इसका समाधान किया जाना चाहिए। सबसे अहम यह है कि राज्यसत्ता को बलात्कार रोकने के लिए अग्र-स्क्रिय रहकर कदम उठाने चाहिए। इसके लिए उसे सजा के जरिए निरोधात्मक डर पैदा करना चाहिए। देश एक और डॉक्टर

या अस्पताल कर्मी का भरोसा टूटना सह नहीं सकता। जिन्हें जिंदगी बचाने का काम सौंपा गया है, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

महिलाओं के साथ होने वाली प्रमुख हिंसाएं

घरेलू हिंसा: घरेलू हिंसा सभ्य समाज का एक कड़वा सच है। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत साल 2021 में केवल

507 मामले दर्ज किये गए, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामलों का 0.1 फीसदी है। जबकि वास्तविकता में यह संख्या कई गुना अधिक है। इसमें महिलाओं को लैंगिक, शारीरिक और मानसिक यातनाएँ दी जाती हैं। अधिकांश मामलों में घरेलू हिंसा पति द्वारा पत्नी या ससुराल वालों के द्वारा बहू को शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के रूप में नज़र आती है और



महिलाएँ इसे अपना भाग्य समझकर सहती रहती हैं। इस हिंसा को सहने का एक कारण यह भी है कि हमारे भारतीय समाज में शादी के पहले से ही लड़की के दिमाग में यह बात बैठा दी जाती है कि एक बार पिता के घर से डोली उठने के बाद पति के घर से ही अर्थों उठनी चाहिये यानी शादी के बाद लड़की अपने पिता के घर वापस आकर नहीं रह सकती, भले ही सुरुआत वाले उसका कितना ही उत्पीड़न करें। जिसके चलते अधिकांश महिलाएँ बिना किसी से शिकायत किये शांति से हिंसा को सहती रहती हैं। वर्षी, कई महिलाएँ एवं बेटियाँ ऐसी भी हैं, जो अपने ही घर में हिंसा की शिकार हो जाती हैं। हमारे पुरुष सत्तात्मक समाज में घर की बेटियों व महिलाओं के सभी

महत्वपूर्ण निर्णय घर के पुरुष मुखिया ही करते हैं। जिसके चलते कई बार वह अपने घर की लड़कियों को पढ़ाई के उचित अवसर नहीं देते, अगर पढ़ा भी दिया तो नौकरी करने के लिये घर की चारदीवारी से बाहर नहीं भेजते, उन पर जबरन शादी का दबाव बनाते हैं, जो कि एक प्रकार की मानसिक हिंसा है।

बलात्कार: बलात्कार समाज में होने वाला सबसे धिनौना अपराध है। ऐसे अपराधों में भी आमतौर पर अपरिचितों की बजाय परिचित ही शामिल होते हैं। यह अपराध अचानक नहीं होता बल्कि इसे पुरुषों द्वारा विचारित कर्म माना जाता है। अपराधी अधिकतर ऐसी संवेदनशील महिलाओं या बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं जो न तो इनके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं और न ही उनका सामना कर सकती हैं। कई बार एक समूह के पुरुष, किसी दूसरी जाति के पुरुषों को नीचा

कोलकाता घटना से पूरे देश में रोष धरना, प्रदर्शन से जताया जा रहा है विरोध

कोलकाता रेप-मर्डर केसः एक नज़र में

- 9 अगस्तः**: पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव सुबह के समय सेमिनार हॉल में मिला। डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। डॉक्टर खाना खाने के बाद सेमिनार हॉल में ही सो गई थीं। पुलिस के मुताबिक, बलात्कार और हत्या की ये घटना रात तीन से सुबह छह बजे के बीच हुई थी। डॉक्टरों ने घटना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया।
- 10 अगस्तः**: पुलिस ने टास्क फोर्स बनाई। जांच शुरू होने के छह घंटे के भीतर अभियुक्त संजय रॉय को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी के अलावा पुलिस को सेमिनार हॉल से एक टूटा हुआ ब्लूटूथ इयरफोन मिला था। ये अभियुक्त के फोन से कनेक्ट हो गया था। इसी के जरिए पुलिस संजय को गिरफ्तार करने में सफल रही थी।
- 11 अगस्तः**: डॉक्टरों का प्रदर्शन तेज़ी से बढ़ने लगा।
- 12 अगस्तः**: मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का इस्तीफा।
- 13 अगस्तः**: कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले में जांच के सही से ना होने की बात कही और केस सीबीआई को सौंपा।
- 14 अगस्तः**: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलकाता रेप और हत्या के मामले में स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े किए।
- 15 अगस्तः**: 14 और 15 अगस्त की दरम्यानी रात कोलकाता समेत कई जगहों पर महिला संगठनों और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने रीक्लेम द नाइट का नारा देकर महिलाओं के सड़क पर उतरने का आह्वान किया। 14-15 अगस्त की रात आरजी कर अस्पताल में डॉक्टरों के धरना स्थल पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भी महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया।
- 16 अगस्तः**: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सड़क पर उत्तरकर मार्च निकाला। इस मार्च की बीजेपी और कई लोगों ने आलोचना की।
- 18 अगस्तः**: ऐसी रिपोर्ट्स आईं कि सीबीआई अभियुक्त की फॉर्मेसिक जांच करेगी।
- 20 अगस्तः**: कोलकाता रेप-मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए सुरक्षा बंदोबस्त के अभाव पर चिंता व्यक्त की और एक राष्ट्रीय टास्कफोर्स के गठन किया।
- 21 अगस्तः**: आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ ने संभाली।
- 22 अगस्तः**: डॉक्टरों ने 11 दिनों के जारी हड्डाताल को वापस लिया।
- 27 अगस्तः**: डॉक्टर के रेप और हत्या मामले के खिलाफ छात्रों ने राज्य सचिवालय यानी नबान्न भवन तक विरोध मार्च की अपील की। इस विरोध मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई। एक नए छात्र संगठन पश्चिम बंग छात्र समाज ने इस विरोध मार्च को नबान्न अभियान नाम दिया था। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी बयान जारी कर पश्चिम बंग छात्र समाज के बुलाए गए नबन्ना मार्च (सचिवालय पर प्रदर्शन) के दौरान हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की।
- 28 अगस्तः**: विरोध प्रदर्शन में बल प्रयोग करने और छात्रों को गिरफ्तार करने के खिलाफ बीजेपी ने 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया। सत्तारूढ़ टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य में अराजकता पैदा करना चाहती है।
- 2 सितंबरः**: सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में अस्पताल में सामान आपूर्ति करने वाले दो ठेकेदार बिप्लब सिंघा और सुमन हाज़रा के अलावा संदीप घोष के बॉडीगार्ड अफसर अली खान भी शामिल थे।
- 3 सितंबरः**: घटना के एक महीने के भीतर पश्चिम बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मति से अपराजिता महिला और बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित। इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर भारतीय न्याय संहिता, 2023, (बीएनएस) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बने पॉक्सो कानून, 2012 में संशोधन किए गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून एक ऐतिहासिक कानून है जिससे पीड़ित को जल्द न्याय मिलेगा।

दिखाने या अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिये उनके परिवार की महिलाओं को

अपना शिकार बना लेते हैं, उनका बलात्कार करते हैं और परिवार के सदस्यों

द्वारा इज्जत के डर से बलात्कार के अधिकांश मामलों की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई



जाती है।

यौन उत्पीड़न: इसके अंतर्गत महिलाओं की आयु, वर्ग या वेशभूषा पर ध्यान दिये बिना सङ्कोच पर, बसों एवं रेलगाड़ियों में सफर के दौरान या फिर कार्यस्थल पर, उन पर मौखिक व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ करना या जानबूझकर उनसे टकराना या अश्लील भाषा का प्रयोग करना आदि शामिल हैं। ये शायद ऐसे गिने-चुने अपराध हैं जो दिनदहाड़े किये जाते हैं और ये ऐसे अपराध भी हैं जिन्हें पुलिस और आम जनता अनदेखा कर देती है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और एक आम रूख कि लड़के आखिर लड़के हैं, यौन उत्पीड़न को निरपराध और छिपेरी गतिविधि बनाते हैं। लेकिन ऐसे विकृत सुख का आखिर अर्थ क्या है और महिलाओं पर इसका क्या असर है, इस पर कोई विचार नहीं करता। यौन उत्पीड़न की घटनाएँ जिस परिस्थिति में घटित हैं, वे शायद अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन महिलाओं पर इनका प्रभाव एक

भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित कुछ आँकड़े

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2015 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के 3.29 लाख मामले, साल 2016 में 3.38 लाख मामले, साल 2017 में 3.60 लाख मामले और साल 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किये गए। वहीं, साल 2021 में ये आँकड़ा बढ़कर 4,28,278 हो गया, जिनमें से अधिकतर यानी 31.8 फीसदी पति या रिश्तेदार द्वारा की गई हिंसा के, 7.40 फीसदी बलात्कार के, 17.66 फीसदी अपहरण के, 20.8 फीसदी महिलाओं को अपमानित करने के इरादे से की गई हिंसा के मामले शामिल हैं।

जैसा ही होता है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएँ कामगार और मनुष्य के रूप में खुद को शंका की दृष्टि से देखना शुरू कर

देती हैं और उनमें घोर निराशा आ जाती है; वे स्वयं को शांकित हीन मानने लगती हैं। इसी कारण यौन उत्पीड़न को अक्सर

भारत में हर घंटे तीन महिलाएं होती हैं रेप का शिकार



सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में न तो कमी आ रही है और न ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सालभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के चार लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं, बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का जिक्र इसलिए, क्योंकि हाल-फिलहाल में रेप के कुछ मामलों ने देश को हिलाकर रख दिया है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और उसके बाद हत्या का मामला चर्चा में बना है। कोलकाता के इस रेप कांड ने 2012 के निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी। इसके खिलाफ सिर्फ कोलकाता ही नहीं, बल्कि देशभर के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर रेप के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करने की मांग की है।

**मनोवैज्ञानिक बलात्कार भी कहा जाता है।
कानून सख्त, फिर भी नहीं बदले
हालात**

16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। इस दौरान दरिद्रों ने सारी हड़ें पार कर दी थीं। बाद में उस युवती की मौत हो गई थी। इस कांड ने देश को

झंकझोर कर रख दिया था। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा भी बदल दी थी, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था। लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा

बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। ये संशोधन इसलिए हुआ था, क्योंकि निर्भया के छह दोषियों में से एक नाबालिंग था और तीन साल में ही रिहा

हो गया था। इसके अलावा, रेप के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान भी किया गया था। इसके बाद अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी हालात में पहुंच जाती है, तो दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। हालांकि, इन सबके बावजूद सुधार नहीं हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25 हजार मामले दर्ज किए जाते थे। लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा 30 हजार के उपर पहुंच गया। 2013 में ही 33 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 2016 में तो आंकड़ा 39 हजार के करीब पहुंच गया था। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2.44 लाख मामले दर्ज किए गए थे। जबकि, 2022 में 4.45 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए। यानी, हर दिन 1200 से ज्यादा मामले। वर्हीं, रेप के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरपी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2012 में रेप के 24 हजार 923 मामले दर्ज हुए थे। यानी, हर दिन औसतन 68 मामले। जबकि, 2022 में 31 हजार 516 मामले दर्ज किए गए थे। इस हिसाब से हर दिन औसतन 86 मामले दर्ज किए गए। यानी, हर घंटे 3 और

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रमुख कारण

- पुरुष सत्तात्मक मानसिकता।
- पुरुष और महिलाओं के बीच शक्तिएवं संसाधनों का असमान वितरण।
- लैंगिक जागरूकता का अभाव।
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कम सशक्तीकरण।
- समाज द्वारा लैंगिक हिंसा को मौन सहमति।
- पुरुषों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण महिलाओं का लैंगिक हिंसा के प्रति अधिक सुमेद्य होना।
- कानूनों का कुशल कार्यान्वयन न होना।
- घरेलू हिंसा को संस्कृति का हिस्सा बना देना।
- लिंग भूमिकाओं से संबंधित रुद्धियाँ।
- महिलाओं की भूमिका विवाह और मातृत्व तक सीमित कर देना।

हर 20 मिनट में 1 महिला रेप की शिकार हुई। अगर राज्यों की बात की जाए तो रेप

के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आते हैं। 2022 में राजस्थान में रेप के



अक्सर ऐसी महिलाएँ होती हैं हिंसा की शिकार

यदि हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी मामलों का अवलोकन करें तो हम पाएँगे कि सामान्यतया हिंसा की शिकार वे महिलाएँ होती हैं-

- जो असहाय और अवसादग्रस्त होती हैं, जिनकी आत्मछवि खराब होती है, जो आत्म अवमूल्यन से ग्रसित होती हैं या वे जो अपराधकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा के कारण भावात्मक रूप से निर्बल हो गई हैं।
- जो दबावपूर्ण पारिवारिक स्थितियों में रहती हैं।
- जिनमें सामाजिक परिपक्वता की या सामाजिक अन्तर-वैयक्तिक प्रवीणताओं की कमी है, जिसके कारण उन्हें व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- जिनके पति या ससुराल वालों का व्यक्तिगत विकृत है और जिनके पति प्रायः शराब पीते हैं।

5,399 मामले दर्ज किए गए थे। दूसरे नंबर पर 3,690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे

नंबर पर था। बलात्कार के ज्यादा मामलों में जो आरोपी होता है, वो पीड़िता की जान-

पहचान वाला ही होता है। आंकड़े बताते हैं कि रेप के 96 फीसदी से ज्यादा मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। 2022 में रेप के 31 हजार 516 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 30 हजार 514 मामलों में आरोपी पीड़िता की पहचान वाला ही था। इनमें से 2,324 आरोपी तो ऐसे थे जो पीड़िता के ही परिवार के सदस्य थे। जबकि, 14 हजार 582 मामलों में ऑनलाइन फ्रेंड, लिव-इन पार्टनर या शादी का झांसा देने वाला आरोपी था। वहीं, 13 हजार 548 मामले ऐसे थे, जिनमें आरोपी कोई पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी या जान-पहचान वाला ही था। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 27 से 28 फीसदी ही है। यानी, रेप के 100 में से 27 मामलों में ही आरोपी को दोष साबित हो पाता है, बाकी मामलों में उसे बरी कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के आखिर तक देशभर की अदालतों में रेप के लगभग दो लाख मामले लंबित थे। 2022 में इनमें से साढ़े 18 हजार मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ, उनमें से



करीब 5 हजार मामलों में ही दोषी को सजा दी गई। जबकि, 12 हजार से ज्यादा मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया। भारत से इतर, ब्रिटेन में रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 60 फीसदी से ज्यादा है। कनाडा में भी रेप के मामलों में कन्विक्शन रेट 40 फीसदी से ज्यादा है। अगर सबूतों की कमी है तो वो आरोपी को बरी कर देते हैं, जबकि उन्हें इसके लिए कम से कम कुछ सजा तो जरूर देनी चाहिए ताकि उसे दोषी ढहराया जा सके। इतना ही नहीं, रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में पांच दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली है। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई थी। जबकि, मार्च 2020 में निर्भया के चार दोषियों- मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी।

महिलाओं के खिलाफ अपराध पर क्या है कानून?

दो महीने पहले नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया है। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) ने ले ली है। आईपीसी में धारा 375 में रेप को परिभासित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। जबकि, भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 से 70 में सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। बीएनएस की

अपराधों को रोकने संबंधी चुनौतियाँ

तमाम कानूनों और तरीकों को अपनाने के बाद भी हम महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने में असफल हो रहे हैं, इसलिये यह आवश्यक है कि समस्या का समाधान करने से पहले हम उसमें आने वाली चुनौतियों को समझें-

- न्यायालय में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का लंबे समय तक लंबित पड़े रहना।
- सजा दिये जाने की दर में कमी।
- जाँच करने वाले अधिकारियों का महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार न किया जाना अर्थात् महिलाओं को उत्पीड़ित नहीं बल्कि अपराधी की नज़र से देखना।
- सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में रोकथाम के स्थान पर सजा पर अधिक ज़ोर दिया जाना।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के उपाय

निम्नलिखित तरीकों को अपनाकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है-

- महिलाओं की सुरक्षा के लिये बनाए गए कानूनों को मजबूत करने के साथ-साथ उन्हें सख्ती से लागू किया जाए।
- सरकार द्वारा सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाए।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए।
- महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए।
- महिला थानों की संख्या के साथ-साथ महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया जाए और हेल्पलाइन नंबर, फोरेंसिक लैब की स्थापना, सार्वजनिक परिवहन में सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाने जैसी व्यवस्थाएँ की जानी चाहिये।



धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उप्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उप्रकैद की सजा तब तक रहेगी, जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उप्रकैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 70(2) के तहत, नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उप्रकैद की सजा तो होगी ही, साथ ही मौत की सजा भी सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि, आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर ही मौत की सजा का प्रावधान था। बीएनएस की धारा 66 के तहत, अगर रेप के मामले में महिला की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से

कम 20 साल की सजा होगी। इस सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा में भी बदला जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जोड़ी गई है। इसमें शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा कर महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें पहचान छिपाकर शादी करने पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाबालिगों के लिए POCSO एक्ट

2012 के निर्भया कांड के बाद ही यौन हिंसा के नाबालिग पर्दितों के लिए भी कानून लाया गया था। ये कानून था- पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्युअल ऑफेंस एक्ट। इस कानून को 2012 में लाया गया था। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों, दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों

से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान कर दिया। इस कानून के तहत उप्रकैद की सजा मिली है तो दोषी को जीवन भर जेल में ही बिताने होंगे। इसका मतलब हुआ कि दोषी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत देशभर में करीब 54 हजार मामले दर्ज किए गए थे। जबकि, इससे पहले 2020 में 47 हजार मामले दर्ज हुए थे। 2017 से 2021 के बीच पांच साल में पॉक्सो एक्ट के तहत 2120 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि, पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन रेट काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि पांच साल में 61,117 आरोपियों का ट्रायल कम्प्लीट हुआ है, जिनमें से 21,070 यानी करीब 35 प्रतिशत को ही सजा मिली है। बाकी 37,383 को बरी कर दिया गया।



सबके लिए त्वरित न्याय की अवधारणा पर आधारित हैं नये आपराधिक कानून

(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री है)

भारत में आपराधिक कानूनों में परिवर्तन और सुधार एक महत्वपूर्ण विषय है, जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और न्याय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय-समय पर किया जाता है। हाल ही में, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों को संसद में पारित किया गया। अब एक जुलाई 2024 से पूरे देश में यह लागू हो रहा है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री

अमित शाह ने संसद में कानून को पेश करते हुए कहा कि खत्म होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मज़बूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। इनका उद्देश्य दंड देने का था, न की न्याय देने का। तीन नए कानून की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना, इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन तीन कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।

पुराने कानूनों में गुलामी की बू आती थी। ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे क्योंकि इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था और हमने सिर्फ इन्हें अपनाया था। इन कानूनों में पालिंयामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्राविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाई द क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव, लंदन गैजेट, ज्यूरी और बैरिस्टर, लाहौर गवर्नरमेंट, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पालियामेंट का ज़िक्र है। इन कानूनों में हर मैजेस्टी और बाई द प्रिवी कार्डिसिल के




रेफरेंस दिए गए हैं, कॉपीज़ एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेट इन द लंदन गैज़ेट के आधार पर इन कानूनों को बनाया गया, पज़ेशन ऑफ द ब्रिटिश ओउन, कोर्ट ऑफजस्टिस इन इंलैंड और हर मैजेस्टी डामिनियन्स का भी ज़िक्र इन कानूनों में कई स्थानों पर है। अच्छी बात यह कि गुलामी की निशानियों को पूरी तरह मिटा दिया गया है। जिसके तहत 475 जगह गुलामी की निशानियों को समाप्त कर दिया गया है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है, कई बार न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, लोगों की श्रद्धा उठ जाती है और अदालत में जाने से डरते हैं।

इन कानूनों को बनाने के पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। इन कानूनों को आज के समय के अनुरूप बनाने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अगस्त, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, देश के

सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और देश के सभी कानून विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे थे। वर्ष 2020 में सभी, महामहिम राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों एवं संघ-शासित प्रदेशों के महामहिम प्रशासकों को पत्र लिखे गए। इसके बाद व्यापक परामर्श के बाद ये प्रक्रिया कानून बनने जा रही है। इसके लिए 18 राज्यों, 6 संघशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 निधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायिकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। यह प्रक्रिया सरल नहीं थी, काफ़ी मेहनत की गई बीते 4 सालों में। खूब विचार विमर्श किया गया है। इस संदर्भ में हुई 158 बैठकों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह उपस्थित रहे हैं।

इन कानूनों में क्या बदलाव हुआ है, इस

पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बताया कि आज तक आतंकवाद से परिचित सभी थे लेकिन आतंकवाद की परिभाषा, व्याख्या नहीं थी। अब ऐसा नहीं रहेगा। अब अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विधांसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। इससे जुड़ी संपत्तियों को ज़ब्त करने का अधिकार भी दिया गया है। जांचकर्ता पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इसका आदेश देगा। गौरतलब है कि अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। सेशंस कोर्ट के जज द्वारा प्रक्रिया के बाद भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्तियों की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सज़ा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो। उसे सज़ा के खिलाफ



अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना होगा। अभी तक देखा गया है कि देश भर के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में केस संपत्तियां पड़ी रहती हैं। अब इस ओर भी तेजी लाई जाएगी। यानी अब इनकी वीडियोग्राफी करके सत्यापित प्रति कोर्ट में जमा करके इनका निपटारा किया जा सकेगा।

इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को समाहित किया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, बेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है, जिनसे अदालतों में लगने वाले कागजों के अंबार से मुक्तिमिलेगी। इस कानून को डिजिटलाइज किया गया है, यानी एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अभी

सिर्फआरोपी की पेशी वीडियो कान्फ्रेसिंग से हो सकती है, लेकिन अब पूरा ट्रायल, क्रॉस क्वेश्चनिंग (cross questioning) सहित, वीडियो कान्फ्रेसिंग से संभव होगी। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच-पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों की रिकार्डिंग और उच्च न्यायालय के मुकदमे और पूरी अपीलीय कार्यवाही भी अब डिजिटली संभव होगी। सर्च और ज़क्की के समय वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया है, जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फँसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकार्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी।

आजादी के 75 सालों के बाद भी दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा देने का काम किया है। तीन साल के बाद हर साल 33 हज़ार फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स देश को मिलेंगे। साथ ही श्री अमित शाह ने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को 90 प्रतिशत से ऊपर लेकर जाना है। इसके लिए एक

महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि 7 वर्ष या इससे अधिक सज्जा वाले अपराधों के ऋझ सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को अनिवार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। वर्ष 2027 से पहले देश की सभी अदालतों को कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार मोबाइल फॉरेंसिक वैन का भी अनुभव किया जा चुका है। दिल्ली इसका उदाहरण है। दिल्ली में इसका सफल प्रयोग किया गया। इसके तहत 7 वर्ष से अधिक सज्जा के प्रावधान वाले किसी भी अपराध के स्थल पर फॉरेंसिक साइंस लैबरोटरी (एफएसएल) की टीम पहुंचती है। इतना ही नहीं मोबाइल एफएसएल को भी लॉन्च किया गया। बता दें कि यह संकल्पना पूर्ण रूप से सफल है। यही वजह है कि अब हर ज़िले में 3 मोबाइल एफएसएल रहेंगी और अपराध स्थल पर जाएंगी।

यौन हिंसा के मामले में भी पहले के कानून में फेर-बदल किया गया है। इसके



अंतर्गत यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान अनिवार्य कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब अनिवार्य कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना अनिवार्य होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी, इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि कम्युनिटी सर्विस को सज्जा के रूप में इस कानून के तहत लाया जा रहा है। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल तक की सज्जा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशंस कोर्ट्स में 40 प्रतिशत से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर

दी गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेंगी। इस प्रकार 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्तिको आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा, इससे सालों तक निर्णय लंबित नहीं रहेगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।

पुराने आपराधिक कानूनों को निरस्त करना और नए कानूनों को अपनाना देश की वर्तमान वास्तविकताओं को दर्शाता है। भारतीय लोकाचार और संस्कृति को प्रतिबिर्भवित करने के लिए इन कानूनों का नाम बदला गया। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023-पुरातन ब्रिटिश

औपनिवेशिक युग से प्रस्थान का प्रतीक है, जिसमें सजा पर न्याय पर जोर दिया जाता है।

पिछले दशक में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने धार्मिक कद्विरावाद और आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया है। आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर सरकार की शून्य-सहिष्णुता नीतियों और कार्यों के कारण ये ताकतें अब रक्षात्मक मुद्रा में हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने यूएपीए समेत संबंधित अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों से संबंधित आतंकी अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। नए आपराधिक कानूनों ने अनुपस्थिति में मुकदमे की अनुमति देकर इस बदलाव को और मजबूत किया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंचना निर्माण में मध्यप्रदेश आगे



दुर्गश रायकवार

मध्यप्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंचना विकास में अन्य राज्यों से आगे निकल गया है। अब एक जिले में एक खेल परिसर का विकास करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। खेल और खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश नई दिशा दे रहा है। साथ ही युवा कल्याण की दिशा में भी सुविचारित प्रयास हो रहे हैं। मध्यप्रदेश ने जहाँ राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मैप में विशिष्ट स्थान बनाया है, वहाँ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने और स्व-रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी बेहतर काम किया है। खेल

अधोसंचना विस्तार, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं। खेल अकादमियों के संचालन, पुरस्कार, विशेष छात्रवृत्ति, नकद पुरस्कार और खेल संघों को खेल प्रतियोगिता के आयोजनों की श्रृंखला शुरूकर मध्यप्रदेश अब देश का स्पोर्ट्स-हब बन गया है। अन्य राज्य अब मध्यप्रदेश के इस खेल मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं।

युवा कल्याण

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिये चयनित लगभग 11 हजार उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गये हैं। स्टार्ट-अप को

प्रोत्साहित करने के लिये नई पहल के तहत मध्यप्रदेश के स्टार्ट-अप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिये 50 हजार रुपये से डेढ़ लाख रुपये तक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर रिकार्ड 7 लाख युवाओं को 5 हजार करोड़ रुपये का स्व-रोजगार ऋण वितरित किया गया। राज्य शासन द्वारा अग्निवीर योजना में युवाओं का अधिक से अधिक चयन हो, इस उद्देश्य से 360 घंटे प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ

योजना में फरवरी-2024 में 8 हजार चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख रूपये स्टाइरेंड सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित किये गये हैं।

खेल अकादमियों के संचालन में विभाग द्वारा 18 खेलों की 11 अकादमियाँ संचालित की जा रही हैं। खेल अकादमियों में 996 खिलाड़ियों को बोर्डिंग एवं डे-बोर्डिंग योजना अंतर्गत प्रवेश देकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ उपलब्ध

बाद यह अवसर मिला है, जब मध्यप्रदेश के एक साथ 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड एवं एक प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोवा में 37वीं राष्ट्रीय खेल में मध्यप्रदेश के 416 खिलाड़ियों द्वारा 37 खेलों में प्रतिभागिता कर 112 पदक (37-स्वर्ण, 36-रजत, 39-काँस्य) प्राप्त कर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। यह हमारे खिलाड़ियों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ

कश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, गोवा, अंडमान-निकोबार, राज्यों के लिए मध्यप्रदेश रोल मॉडल बना गया है। इन राज्यों के प्रतिनिधि मध्यप्रदेश के स्पोर्ट्स अरेजमेंट्स एवं मैनेजमेंट का अध्ययन करने मध्यप्रदेश आये थे। अधिकांश राज्य मध्यप्रदेश के खेल मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं।

खेलों एमपी यूथ गेम्स

खेलों इण्डिया यूथ गेम्स-2022 की तर्ज पर राज्य में खेलों एमपी यूथ गेम्स-



करवाई जा रही है।

भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के 3 खिलाड़ियों यथा शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, हॉकी खिलाड़ी सुशीला चानू, केनोइंग-क्याकिंग की पैरा खिलाड़ी प्राची यादव को अर्जुन अवार्ड एवं हॉकी ओलंपियन के प्रशिक्षक श्री शिवेन्द्र सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड-2023 से सम्मानित किया गया। मध्यप्रदेश राज्य को 23 साल

प्रदर्शन रहा है। खेलों इण्डिया यूथ गेम्स-2022 में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर रहा था। एशियन गेम्स-2023 होंगजाउ चायना में मध्यप्रदेश ने पिछले एशियन गेम्स के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पदक अर्जित किये थे।

खेलों में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल

गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू

2023 का आयोजन मध्यप्रदेश के सभी जिलों में किया गया, जिसमें 1,68,984 खिलाड़ियों द्वारा अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया गया। यह आयोजन निरंतर प्रतिवर्ष किया जायेगा। भोपाल को स्पोर्ट्स हब तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने के लिये नाथू-बरखेडा स्पोर्ट्स साईंस सेन्टर की स्थापना की जा रही है। प्रथम चरण में एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रेक मय फुटबॉल

स्टेडियम एवं हॉकी सिंथेटिक टर्फ मय पेवेलियन द्वितीय चरण में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण तथा तृतीय चरण में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये विभाग द्वारा 985 करोड़ 76 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।

खेल अधोसंरचना का विस्तार

अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना निर्माण में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 18 हॉकी टर्फ निर्मित हैं तथा 3

मध्यप्रदेश के 4 खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग (ओलिंपिक), प्राची यादव, पूजा ओझा, क्याकिंग-केनोइंग, कपिल परमार ब्लाइंड जूडो (पैरालिंपिक) का चयन हो चुका है। अभी और खिलाड़ियों के चयनित होने की संभावना है।

माँ तुझे प्रणाम

शासन द्वारा प्रदेश के युवाओं में देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति जागृति लाने, राष्ट्र के प्रति समर्पण, साहस की भवना जाग्रत करने एवं युवाओं को सेना तथा अर्द्ध-सैनिक बलों के प्रति आकर्षित करने

गुजरात और कन्याकुमारी तमिलनाडू की अनुभव यात्रा करवायी गई। माँ तुझे प्रणाम योजना में शुरू से अब तक मध्यप्रदेश के 15,516 युवाओं को देश की विभिन्न राष्ट्रीय सीमाओं की अनुभव यात्रा करवाई जा चुकी है।

वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

मध्यप्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स योजना शुरू की जाएगी। इसमें प्रत्येक जिले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जायेगा। ब्रेक-डांस अकादमी की स्थापना की जा रही है। ई-स्पोर्ट्स अकादमी एवं उज्जैन में मलखम्ब व जिम्नास्टिक अकादमी की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स योजना अंतर्गत भविष्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए खेल अधोसंरचना को 4 श्रेणी राजभोगी शहर, संभागीय मुख्यालय, बड़े जिला मुख्यालय, छोटे जिला मुख्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की कार्य-योजना तैयार की जायेगी। खेल संघों की खेल प्रतियोगिताओं एवं पंजीकृत खिलाड़ियों की जानकारी ऑनलाइन की जायेगी।

मध्यप्रदेश में खेल अधोसंरचना का निर्माण, जन निजी भागीदारी योजना से किया जाना है। मध्यप्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों का खेल अकादमियों में चयन हो सके, इसके लिये प्रत्येक खेल अकादमी में न्यूनतम 5 फीडर सेंटर स्थापित किये जायेंगे। माह अक्टूबर-2024 में आयोजित नेशनल गेम्स, उत्तराखण्ड-2024 में मध्यप्रदेश से अधिकाधिक खिलाड़ियों द्वारा सहभागिता कर पदक अर्जित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। ओलिंपिक गेम्स-2024 में पुलिस विभाग में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सब इंसपेक्टर के 10 पद एवं कांस्टेबल के 50 पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

हॉकी टर्फ निर्माणाधीन है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 10 एथलेटिक्स सिंथेटिक टर्फ निर्मित हैं। विभाग के स्वामित्व के 107 स्टेडियम/खेल प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित हैं तथा 56 निर्माणाधीन हैं।

37 वर्षों के बाद टोक्यो ओलिंपिक-2020 में मध्यप्रदेश के खेल अकादमियों के खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 10 खिलाड़ियों द्वारा सहभागिता की गई एवं पुरुष हॉकी में एक कांस्य पदक प्राप्त किया गया। पेरिस ओलिंपिक और पैरालिंपिक्स में भाग लेने वाले भारतीय दल में अब तक

के उद्देश्य से माँ तुझे प्रणाम योजना वर्ष-2013 में शुरू की गई। योजना में प्रदेश के 15 से 25 वर्ष के आयु के युवाओं को चयनित कर देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भ्रमण के लिए ले जाया जाता है। योजना अंतर्गत युवाओं को लेह-लद्दाख, कारगिल-द्रास, आर.एस.पुरा जम्मू-कश्मीर वाघ-हुसैनी वाला पंजाब, तनोत माता का मंदिर लोंगेवाल, बीकानेर, बाड़मेर राजस्थान, कोच्ची केरल नाथूला दर्रा सिक्किम, तुरा मेघालय, पेट्रोपोल, जयगांव पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार, केवडिया



बांग्लादेश में हुंकार भरते हिंदू

प्रमोद भार्गव

बांग्लादेश में संक्रमण के इस दौर में पिटते हुए नहीं, बल्कि हुंकार भरते हिंदु दिखाई दे रहे हैं। हिंदुओं का यह बदला रूख्खन केवल उनके लिए, उनके राष्ट्र का नागरिक बने रहने का अभिमान है, बल्कि शरणार्थी या घुसपैठिए की लाचारी से मुक्त बने रहने का स्वाभिमान भी है। उनकी इस भावना को समान देते हुए मुहम्मद यूनुस को कहना पड़ा है कि हिंदू देश के नागरिक हैं, अतएव उनके प्रति हर प्रकार की हिंसा तत्काल बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा भी कि हम ऐसी सरकार का गठन करेंगे, जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए यह भी कहा कि अगर आपको मुझ पर भरोसा है यह तय करना होगा कि देशभर में कहीं भी

किसी पर कोई हमला नहीं किया जाए। यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो यहां मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। यह कथन इस बात का संकेत है कि यूनुस अब देष में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव एवं अन्याय नहीं देखेंगे। दरअसल यूनुस बुद्धिजीवी होते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इसलिए उन्हें तत्काल शेख हसीना या खालिदा जिया की तरह वोट-बैंक के लिए बहुसंख्यक हित साधने की जरूरत नहीं रह गई है।

बांग्लादेश में एकाएक तख्तापलट के बाद हालात बद से बदूर होते दिखाई दिए हैं। नतीजतन पुलिस बलों ने हड्डताल करके 650 थानों में तलाबंदी कर दी थी। इस कारण अराजकतावादी तत्वों को खुली छूट

मिल गई और वे बांग्लादेश में रहने वाली लगभग 1 करोड़ 30 लाख की हिंदू आबादी वाली क्षेत्रों में आक्रमक होते दिखाई दिए। अतएव हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए स्वयं आगे आना पड़ा। एक हिंदू महिला के हाथ में हंसिया भी दिखा। यह हंसिया इस बात का प्रतीक रहा कि यदि किसी महिला से दुराचार की कोशिश अताताईयों ने कि तो हिंदू स्त्री देवी दुर्गा की प्रतीक बनकर प्रतिहिंसक के अवतार में आ जाएगी। अपनी संगठन क्षमता दिखाने की दृष्टि से बांग्लादेश में हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय राजधानी ढाका के शाहबाग में एकत्रित हुए और आगजनी, लूटपाट व हमलों के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में केवल हिंदु ही नहीं थे, बल्कि ईसाई और बौद्ध भी

थे। इन लोगों ने हुंकार भरी कि हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। हम अपना देश (जन्मभूमि) छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और अपने पर हो रहे जुल्मों व बर्बर हिंसा का साहस के साथ प्रतिकार करेंगे। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद 64 जिलों में से 52 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ 205 हिंसक घटनाएं घट चुकी हैं। कई हिंदुओं के गांव जला दिए गए। नतीजतन लोगों को पलायन करना पड़ा। इस घटना को लेकर बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद ने अंतरिम सरकार के नेता मुहम्मद यूनुस को खुला पत्र लिखकर कहा है कि अल्पसंख्यकों में गहरी चिंता और अनिश्चितता है। सरकार को तत्काल ऐसे हालातों को संज्ञान में ले। संयुक्त राष्ट्र की महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के खिलाफ हैं। हम यह तय करना चाहते हैं कि तुरंत बांग्लादेश में चल रही हिंसा को

नियंत्रित किया जाए। हम किसी भी नस्ल आधारित हमले या हिंसा भड़काने के उपायों के विरुद्ध खड़े हैं। हालांकि बांग्लादेश में विद्रोही इतने उग्र हैं कि वहां की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन को प्रदर्शनकारियों के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा है। लोग अदालत में घुसते चले गए थे।

इस बीच देखने में आया है कि संयुक्त राष्ट्र और मुहम्मद यूनुस तो हिंदुओं की सुरक्षा की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन भारत में कांग्रेस और विपक्षी दलों के ओठ सिले हुए हैं। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने वक्तव्य में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की न तो कोई बात की और न ही उनका कहीं कोई उल्लेख किया। कांग्रेस की इस मनस्थिति पर कटाक्ष करते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस गाजा और

फि लिस्टीन को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करती है, वहां के हालात पर समय-समय पर चिंता जताती है। मगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलती है। आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी को गाजा की तो चिंता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है। याद रहे कांग्रेस व विपक्ष की इस वोट-बैंक की राजनीति के चलते कश्मीर में आतंक और अलगाववाद बढ़ा, नतीजतन वहां से पांच लाख से भी ज्यादा हिंदू सिख और बौद्धों को विस्थापन का दंष झेलना पड़ा। क्या कांग्रेस बांग्लादेश में भी हिंदुओं की यही दुर्दशा देखने की इच्छुक है?

हिंदूओं पर हमले, मर्दिरों और दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हृदय विदारक घटनाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश में आम बात रही है। इन सब के बीच बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समाज





की आवाज को मुख्य ढंग से उठाया नहीं जा सका है। इसका बड़ा कारण है कि पिछले चार दशकों के दौरान वहां से हिंदूओं की आबादी पांच फीसदी घटकर 13.5 से मात्र 8.5 फीसदी रह गई है। बड़ी संख्या में हिंदूओं का पलायन भारत में होता रहा है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदूओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है, राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला जाना। परंपरागत रूप से हिंदू वोटर बांग्लादेश में सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद को धर्मनिरपेक्ष बताकर हिंदूओं को सुरक्षा मुहैया कराने का वादा तो करती रही हैं, लेकिन हमले की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश अपने कार्यकाल में कभी नहीं लगा पाई। हिंदू बांग्लादेश में इसलिए कमजोर हुए, क्योंकि पलायन करके भारत का रुख करते गए। यह पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश के सभी अल्पसंख्यकों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और वहां की

सरकार को देश का नागरिक होने के अधिकार को जताया। यदि हिंदू इसी दृढ़ता से पेश आते रहे तो उन्हें पलायन करके किसी अन्य देश का शरणार्थी बने रहने की जरूरत शायद नहीं रह जाएगी।

बांग्लादेश में हिंदूओं पर हमले एक

पिछले चार दशकों के दौरान वहां से हिंदूओं की आबादी पांच फीसदी घटकर 13.5 से मात्र 8.5 फीसदी रह गई है। बड़ी संख्या में हिंदूओं का पलायन भारत में होता रहा है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदूओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है, राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला जाना। परंपरागत रूप से हिंदू वोटर बांग्लादेश में सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थक रहे हैं।

निश्चित पद्धति के अनुसार होते रहे हैं। दंगों के पहले कुछ सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है और इसे इस्लाम के खिलाफ करार दे दिया जाता है। फिर कट्टरपंथी संगठन हिंदूओं पर हमले का फरमान जारी कर देते हैं। इसके बाद हमलों का दौर शुरू हो जाता है। उधर सरकार बस बयानबाजियां करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। ये बात अब अल्पसंख्यक खासकर हिंदू समुदाय भी समझ चुका है। लेकिन राजनीतिक रूप से हाशिए पर होने से कुछ नहीं कर पाते। हिंदू, बौद्ध व सिख अल्पसंख्यकों के निरंतर पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर में संख्यात्मक रूप से कम होते जाने से स्थिति बिगड़ती जा गई है। अफगानिस्तान में भी यही हाल है। कुछ सालों के भीतर अफगानिस्तान से हिंदू और सिख लगभग पूरी तरह पलायन कर गए।



तालिबानी कृथासन के तीन साल, अफगान लोगों के लिए एक दुःखजन की तरह

केएस तोमर

तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, जिससे औपचारिक राजनयिक संबंध बनाने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों तक पहुंचने में उसे मुश्किल हो रही है। अफगानिस्तान विदेशी सहायता पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद से काफी कम हो गई है। प्रतिबंधों, खासकर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा प्रभावित किया है।

अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान को लौटे तीन साल हो गए हैं, लेकिन इस दौरान वे कई मोर्चों पर बुरी तरफ विफल साबित हुए हैं। तालिबानी शासन महिलाओं के दमन, पड़ोसी मुल्क

پاکیستان سے بیگنگتے سambandhों اور
انترراست्रی مانعات کے لیے نیرتھک
سংবর্ধ কে لিএ پہنچانا جاتا رہا ہے۔ یہی
নহীন, تালিবানী شাসن অফগান লোগোঁ'ক
لিএ এক দৃঃস্বপ্ন কী তরহ ہے।

अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान
को लौटे तीन साल हो गए हैं,
लेकिन इस दौरान वे कई मोर्चों पर
बुरी तरफ विफल साबित हुए हैं।
तालिबानी शासन महिलाओं के
दमन, पढ़ोसी मुल्क पाकिस्तान से
बिगड़ते संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय
मान्यता के लिए निरर्थक संघर्ष के
लिए पहचाना जाता रहा है।

काबुल में तालिबानी शासन को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसने उसके गवर्नेंस मॉडल की सीमाओं को उजागर कर दिया है। इन मुद्दों को सुलझाने की उसकी क्षमता ही अफगानिस्तान की भावी स्थिरता और सत्ता में तालिबान की दीर्घजीविता को निर्धारित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग होना, आर्थिक संकट, सुरक्षा जोखिम और आंतरिक विभाजन उसके लिए महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, जिनसे आने वाले वर्षों में तालिबान को निपटना होगा। अगस्त, 2021 में काबुल पर कब्जा करने के बाद विभिन्न चुनौतियों ने उनके शासन और राजनीतिक वैधता की परीक्षा ली है। सत्ता में तीन साल रहने के बाद भी तालिबान के सामने कई प्रमुख मुद्दे

बरकरार हैं। तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, जिससे औपचारिक राजनीतिक संबंध बनाने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों तक पहुंचने में उसे मुश्किल हो रही है। अफगानिस्तान विदेशी सहायता पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद से काफी कम हो गई है। प्रतिबंधों, खासकर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा प्रभावित किया है। महिला अधिकारों पर तालिबान की प्रतिबंधात्मक नीतियों, खासकर एक निश्चित उम्र के बाद लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध, की व्यापक निंदा हुई है, जिसने शासन को वैश्विक समुदाय से अलग-थलग कर दिया है। इससे घरेलू अशांति और असंतोष भी बढ़ा है। तालिबान द्वारा सख्त शारिया कानून लागू

करने से मानवाधिकारों के हनन की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसमें सार्वजनिक रूप से फंसी देना और अंग-भंग करना शामिल है। इन प्रथाओं की वैश्विक स्तर पर आलोचना की गई है और इससे अफगान आबादी में डर और आक्रोश पैदा हुआ है। अफगान अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है, मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। बैंकिंग

प्रणाली ढहने के कगार पर है और देश में नकदी की भारी कमी है। व्यापक बेरोजगारी और गरीबी ने मानवीय संकट को जन्म दिया है। कई अफगान लोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं और खाद्य असुरक्षा व्याप्त है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसआईएस-के) लगातार खतरा बना हुआ है, जो पूरे मुल्क में घातक हमले कर रहा है। इन हमलों से

अफगान अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है, मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। बैंकिंग प्रणाली ढहने के कगार पर है और देश में नकदी की भारी कमी है। व्यापक बेरोजगारी और गरीबी ने मानवीय संकट को जन्म दिया है। कई अफगान लोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं और खाद्य असुरक्षा व्याप्त है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसआईएस-के) लगातार खतरा बना हुआ है, जो पूरे मुल्क में घातक हमले कर रहा है।



तालिबान की सुरक्षा क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। तालिबान के भीतर भी मतभेद हैं, जिसमें अलग-अलग गुट सत्ता के लिए होड़ कर रहे हैं। ये विभाजन अंदरूनी कलह को जन्म दे सकते हैं और उनके नियंत्रण को अस्थिर कर सकते हैं। अफगानिस्तान

(टीटीपी) की मौजूदगी के कारण। इसी तरह, ईरान के साथ रिश्ते संप्रवायिक मतभेदों और जल विवादों के कारण जटिल हैं। तालिबान ने चीन और रूस के साथ संबंध बनाने की कोशिश की है, लेकिन वे तालिबान शासन के साथ व्यावहारिक रूप से जुड़े हुए हैं, मानवीय सहायता प्रयासों के



अफीम का एक प्रमुख उत्पादक है, और तालिबान पर नशीली दवाओं के व्यापार से मुनाफा कमाने का आरोप लगाया गया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय जांच और प्रतिबंधों को भी आकर्षित किया है। हालांकि तालिबान ने अफीम उत्पादन पर अंकुश लगाने की कसम खाई है, लेकिन अवैध अर्थव्यवस्था अब भी फल-फूल रही है। पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, खास तौर पर सीमा मुद्दों और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान

अफगानिस्तान दुनिया के सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है, जहां लाखों लोग भूख और ढहती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का सामना कर रहे हैं। तालिबान इन मुद्दों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों पर निर्भर है।

अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों पर निर्भर है।

साथ क्षेत्रीय स्थिरता संबंधी चिंताओं को संतुलित कर रहे हैं। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है, जहां लाखों लोग भूख और ढहती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का सामना कर रहे हैं। तालिबान इन मुद्दों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों पर निर्भर है। कई अफगान भागकर पड़ोसी देशों में या यूरोप चले गए हैं। इस प्रतिभा पलायन ने देश में सुधार की संभावनाओं को और कमज़ोर कर दिया



है। तालिबान के केंद्रीकृत शासन मॉडल में सत्ता कुछ ही नेताओं के हाथों में केंद्रित है, जिससे अक्षमता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। इससे पूरे देश में नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो गया है। तालिबान के साथ भारत के रिश्ते जटिल हैं और भारत सतर्कतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन किया है और पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों के साथ तालिबान के रिश्तों को लेकर चिंतित है। हालांकि, नई दिल्ली सावधानीपूर्वक तालिबान के संबंध बनाए हुए हैं, अफगानिस्तान की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश सहित उसके हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने की इच्छा से भारत की

तालिबान के साथ भारत के रिश्ते जटिल हैं और भारत सतर्कतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन किया है और पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों के साथ तालिबान के रिश्तों को लेकर चिंतित है।

भागीदारी सीमित है। तालिबानी शासन ने अफगानिस्तान को फिर से अंधकार युग में धकेल दिया है, जहां महिलाओं को उनकी दमनकारी नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त

करने में तालिबान की असमर्थता ने मुल्क को अलग-थलग करके आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया है। कभी तालिबान का समर्थन करने वाले पाकिस्तान से भी उनके रिश्ते बिगड़ गए हैं, जिससे परेशानियां बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर, तालिबान वैधता के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसका शासन अत्याचार और विफलता का प्रतीक बना हुआ है। दुनिया देख रही है कि तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान अराजकता और निराशा में डूब रहा है, और बेहतर भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अफगान लोगों, खासकर महिलाओं के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, जिन्होंने इस क्रूर शासन का खामियाजा भुगता है।

प्रतिबंध से विचार नहीं मिटते

रघु ठाकुर

पिछले अठावन वर्षों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सरकारी कर्मचारियों को एक प्रकार का प्रतिबंधित संगठन जैसा था। यद्यपि संघ शाखाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं था परंतु सरकारी कर्मचारियों का आरएसएस शाखा में भाग लेना प्रतिबंधित था। वैसे यह प्रतिबंध भी बहुत प्रभावी नहीं था, क्योंकि संघ की राजनैतिक संतान भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्वाचित होकर राज्य और केंद्र की सरकारों में सहभागी बनने लगे थे। और प्रतिबंध केवल शाब्दिक जैसा रह गया था। जब देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री, राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री शाखाओं में जाते हैं, उनके चित्र अखबारों में छपते हैं तो प्रतिबंध कहाँ रहेगा? परंतु वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने

अचानक बगैर किसी मांग के तकनीकी रूप से संघ की शाखा में भाग लेने पर प्रतिबंध को हटा दिया। इससे कई प्रकार की चर्चाएँ शुरू हुई हैं और भारतीय राजनीति के एक धड़े के नेताओं में विशेषतः इंडिया गढ़बंधन के नेताओं और मीडिया के एक हिस्से के द्वारा इस बात की आलोचना हो रही है और संघ पर, उसकी राजनैतिक और सांस्कृतिक भूमिका पर, उसके सांस्कृतिक ढांचे पर राष्ट्रव्यापी चर्चा आरंभ हुई है कि केंद्र सरकार के इस आदेश से संघ के लोगों और विशेषकर अधिकारियों, कर्मचारियों को शाखा में जाने की स्वतंत्रता हो जाएगी इसका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ेगा, तथा इससे संघ का प्रभाव और अधिक व्यापक होगा।

देश के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी ऐसी

ही आशंका व्यक्त की और लेख लिखे हैं। एक पत्रकार महोदय ने तो सुप्रीम कोर्ट से अपील की है और यह अपेक्षा की है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर भारत सरकार के इस आदेश को निरस्त करें। मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना उचित होगा या सुप्रीम कोर्ट लेगा, यह आश्चर्य की बात है कि वे स्वतः याचिका दायर क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर उन्हें अपने लेखन पर विश्वास है तो स्वतः आगे क्यों नहीं आ रहे? जहां तक संघ का राजनैतिक या सांस्कृतिक संगठन होने का प्रश्न है तो पिछले अठावन वर्षों में यह सभी लोग जान चुके हैं कि संघ का मुखौटा सांस्कृतिक है परंतु वास्तव में वह राजनैतिक ही है, जो दल का निर्माण करता है, दलों को बनाता-मिटाता है, चुनाव



में हिस्पेदारी करता है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिये नाम तय करता है। भाजपा सरकारों को नियंत्रित करता है और अपने स्वयं सेवकों के माध्यम से सरकारों को चलाता है। संघ की यह भूमिका कोई आज की नहीं है वरन् पुरानी है। संघ के दूसरे सरसंघ संचालक और विचार पुरुष स्वर्गीय गोलवलकर जी ने

जायेगी तो फिर उसे खा जायेंगे।

यह आश्चर्य की बात है कि संघ की यह भूमिका पिछले अट्टावन वर्षों से घोषित अद्योषित रूप से हो रही है। यह भी आश्चर्यजनक है कि जो कांग्रेस के मित्र अब कर्मचारियों को संघ शाखा में जाने की अनुमति पर चिंतित हैं उन्हीं की आजाद भारत की पहली सरकार ने संघ पर प्रतिबंध

भले ही औपचारिक रूप से संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के जाने पर प्रतिबंध लगा हो परंतु उस प्रतिबंध का क्या प्रभाव होगा विशेषकर जब देश का प्रधानमंत्री, गृहमंत्री ही शाखाओं से प्रशिक्षित होकर सत्ता में आया हो, पंद्रह वर्षों तक संघ के लोग केंद्र में सत्ताधीश रह चुके हों और शासन प्रशासन के नियंत्रक तथा कर्ता-धर्ता



जिन्हें संघ के लोग शास्वत गुरु मानते हैं, ने अपनी पुस्तक विचार नवनीत्य में लिखा था कि संघ राजनैतिक दल को बनायेगा या उसे चलायेगा और अगर वह दल उपयोगी नहीं रहा तो उसे खत्म करेगा। उनके शब्दों में बनाया जाने वाला राजनैतिक दल कमल की नली के समान होगा जो जब तक बजेगी तब तक बजायेंगे और जब बजना बंद हो

भी लगाया था और फिर उसे हटाया भी था। इतना ही नहीं संघ को देश में रचनात्मक कार्यों जैसे गणतंत्र दिवस आदि में सहयोग के लिये आमंत्रित किया था। क्या ये कांग्रेस के मित्र इसे अपने सत्ताधीश पुरुखों की गलती स्वीकार करेंगे? या फिर केवल बढ़ी हुई ताकत से भयभीत होकर प्रतिबंध की बात उठा रहे हैं।

रहे हों।

मैं इस प्रतिबंध का समर्थक नहीं हूँ और मानता हूँ कि किसी विचारधारा से संघर्ष या मुकाबला सत्ता के प्रतिबंधों से नहीं हो सकता, वह तो विचारधारा के माध्यम से ही होना चाहिये। आजादी के पहले कांग्रेस पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगाया था तो क्या उससे कांग्रेस समाप्त हुई? 1962 में

चीनी हमले के के बाद तत्कालीन सरकार ने कम्युनिष्टों पर प्रतिबंध लगाया था, क्या कम्युनिष्ट पार्टियां समाप्त हुईं? आपातकाल में कांग्रेस सरकार ने जनसंघ और अन्य राजनैतिक दलों तथा संघ पर अधोषित प्रतिबंध लगाया था तो क्या वे समाप्त हो गये? प्रतिबंध अमूल्यन प्रतिबंधित विचार को और अधिक फैलाता तथा बढ़ाता है। जिस प्रकार पेड़ की कांठांट से पेड़ घटता नहीं बल्कि बढ़ता है।

संघ की विचारधारा निसंदेह सांप्रदायिक है, जो संस्था एक देश के एक ही धर्म को मानती हो, जो देश को एक हिंदू धर्म का राष्ट्र बनाना चाहती हो, उसमें धार्मिक कट्टरता होना स्वाभाविक है। एक धर्म के राष्ट्र की परिकल्पना भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता समभाव और बंधुता के खिलाफ है। एक धर्म या देश मानने वाली जमातें कहे-अनकहे, घोषित या अघोषित,

चाहे या अनचाहे अपने प्रति उदार और अन्यों के प्रति कद्दर होती हैं। यह स्थिति हम लोग दुनिया के उन देशों में भी देख सकते हैं जहाँ एक धर्म के देश वह पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, ईरान, ईराक या कोई भी एक धर्म को मानने वाले देश हैं, वहाँ दूसरे धर्मों को मानने वालों की स्थिति स्वाभाविक रूप से दोयम दर्ज की हो जाती है। और वह अंतकलह अंतरहिंसा में बदलती है जिसको हम लोग पाकिस्तान या अन्य देशों में देख रहे हैं। संघ की संकीर्णता प्रतिबंध से हटती नहीं है वरन् बढ़ती है। एक धर्म का देश होना फिर उसमें बहुमत वाले एक पंथ का देश होगा, फिर पुरानी परंपराओं को पुनः जिंदा कर चलाने वाला देश होगा और अंतत वह विघटन की ओर ले जायेगा। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेकों धर्म हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, सैकड़ों जातियाँ व

उपजातियाँ हैं इन्हें एकजुट रखना ही देश को ताकतवर बनाना होगा और इसके लिये सभी धर्मों, भाषाओं, क्षेत्रों, खंडों, उपखंडों की स्थानीयता के साथ-साथ एक सुगठित राष्ट्र बनाना होगा। परस्पर मत भिन्नताओं के बीच संवाद करना होगा तथा भिन्नताओं को बहुमत की शक्ति के बजाय आप सहमति से काम करना होगा।

संघ के लोग अभी तक भले ही खुलकर शाखाओं में न जाते हों, परंतु संघ के अधिकारियों और कर्मचारियों की मूल वैचारिक निष्ठा तो संघ में ही रहती हैं तथा एक छिपी हुई भावनात्मक और संगठनात्मक एकता भी उनमें रहती है। यहाँ तक कि अधिकारी वर्ग संघ के अलिखित निर्णय या आदेशों को प्रशासन में क्रियान्वित करता है। संघ और उसके राजनैतिक दल की संरचना ही ऐसे बनाई गई है जिस प्रकार कम्युनिस्ट शासन में पार्टी



ही सत्ता बन जाती है उसी प्रकार भाजपा शासन में संघ ही सत्ता का केंद्र बन जाता है। संघ के प्रशिक्षित लोग पार्टी (भाजपा) में संगठनमंत्री के रूप में भेजे जाते हैं और वे ही पार्टी और सरकार को नियंत्रित करते हैं इसलिये भाजपा की सत्ता वास्तविक रूप से संघ की सत्ता होगी यह बात किसी से भी छिपी नहीं है।

संघ अपनी आवश्यकता के अनुसार

होगा। पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट के जज अभी 2024 के चुनाव में सेवानिवृत्ति के बाद लोकसभा का चुनाव भाजपा से लड़े। एक और जज साहब ने हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद बयान दिया है कि वे संघ के हैं। और ऐसे कितने ही अधिकारियों, न्यायाधीशों को मैं जानता हूँ (इनकी नियुक्ति अधिकांशतः कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी) क्योंकि उनकी पहचान संभव नहीं है। मैं

3. बुराई अगर छिपी रहे तो ज्यादा भ्रामक व घातक होती है पर अगर वह खुलकर सामने आ जाये तो कम से कम पहचान तो आसान हो जाती है।

4. छिपी शक्तिसे मुकाबला कठिन होता है, बजाय सामने के शक्ति से मुकाबले में। अगर देश के राजनैतिक दल संघ के विचार का मुकाबला वैचारिक आधार पर करना चाहेंगे तो अब ज्यादा आसान होगा।



अपने आप को रूपांतरित और परिभाषित करता है। वह सांस्कृतिक भी बन सकता है, वह गैर राजनैतिक भी बन सकता है और आवश्यकता पड़ने पर संपूर्ण राजनैतिक भी हो सकता है। मुझे याद है कि 1978-79 के बीच संघ ने नागपुर में आयकर विभाग को लिखकर दिया था कि वह राजनैतिक है। इसलिये संघ की शाखा में कर्मचारियों के प्रवेश की रोक का कोई असर न हुआ था न

समझता हूँ कि कर्मचारियों के संघ की शाखाओं में जाने के प्रतिबंध हटाने के बाद कुछ अच्छे परिणाम भी निकल सकते हैं...

1. अब प्रशासन में संघ के स्वयंसेवकों की पहचान खुलकर सामने आयेगी और उनका संगठनात्मक पक्ष भी छिप नहीं सकेगा।

2. संघ के अधिकारी अब प्रशासनिक निर्णयों की जवाबदारी से बच नहीं सकेंगे।

5. प्रतिबंध से विचार तेजी से फैलते हैं और उनका फैलाव छिपा रहता है, जो नजर नहीं आता है।

6. सरकारी कर्मचारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य हो सकता है, पर शाखा में नहीं जायेगा, क्या यह अंतिविरोधी और केवल दिखावटी प्रतिबंध जैसा नहीं है?

मध्यप्रदेश में वनवासियों का संघर्ष

वनों और पर्वतों में रहने वाले वनवासियों की जनजातीय चेतना ने अंग्रेजों सहित प्रत्येक आतायी, निरंकुश अथवा आक्रमणकारी सत्ता के विरुद्ध निर्लिप्त संघर्ष की शुरुआत की। अपनी माटी के प्रति समर्पित इन वनवासियों के इसी स्वाधीनता संघर्ष को आगे चलकर समूचे राष्ट्र ने स्वीकारा।

1857 मुक्ति संग्राम की चिंगारी जब उत्तर भारत होती हुई मध्यभारत पहुंची तो निमाड़ के भील-भीलाला वनवासी नायकों ने मोर्चा थामा। इन नायकों में टंट्या भील, भीमा नायक, खाज्या नायक, सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई ने एक युगान्तकारी संघर्ष किया। 1857 महासंग्राम को अंग्रेजों द्वारा कुचल देने के बाद भी इन वनवासियों ने 1866 तक युद्ध किया। इस संघर्ष में अनेक वनवासी शहीद हुई, कईयों को कालापानी की सजा हुई और कई फौसी पर लटका दिए गए। इन रणबांकुरों की वीर गाथा, इतिहास में अजर-अमर है।

विजया पाठक

भारत में स्वाधीनता संघर्ष का अंकुर स्वतंत्रता प्रिय वनवासियों के बीच ही अंकुरित हुआ। वनों और पर्वतों में रहने वाले वनवासियों की जनजातीय चेतना ने अंग्रेजों सहित प्रत्येक आतायी, निरंकुश अथवा आक्रमणकारी सत्ता के विरुद्ध निर्लिप्त संघर्ष की शुरुआत की। अपनी माटी के प्रति समर्पित इन वनवासियों के इसी स्वाधीनता संघर्ष को आगे चलकर समूचे राष्ट्र ने स्वीकारा।

स्वाभिमानी स्वतंत्रताप्रिय वनवासियों ने आरंभ से ही विदेशी हुकूमत को नकार दिया। 1857 मुक्ति संग्राम की चिंगारी जब उत्तर भारत होती हुई मध्यभारत पहुंची तो निमाड़ के भील-भीलाला वनवासी नायकों ने मोर्चा थामा। इन नायकों में टंट्या भील, भीमा नायक, खाज्या नायक, सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई ने एक युगान्तकारी संघर्ष किया। क्रांति नायकों के साथ बरुद के श्यामसिंह, अकबरपुर के रेतला नायक, अकरोनी परगना के कल्लू



बाबा, नाना जगताप, दौलत सिंह, टिक्का सिंह, परगना सिकन्दर खेरा के निहाल सिंह के अतिरिक्त फौजी टीकाराम जमादार व जवाहर सिंह ने मिलकर स्वाधीनता संग्राम का अनोखा इतिहास रचा।

1857 की क्रांति के दिनों में सम्पूर्ण निमाड़ में क्रांतिकारियों का जाल फैला था। खरगौन व उसका सीमावर्ती क्षेत्र

क्रांतिकारियों का प्रमुख केन्द्र बन गया था। भील क्रांतिकारियों द्वारा होने वाली क्रांति गतिविधियों में जुलाई 1857 में खरगौन क्षेत्र में बाम्बे मार्ग पर, अक्टूबर 1857 में ब्रह्मानगांव में, मंडलेश्वर, महेश्वर, राजपुर, खरगौन के अलावा पीपलखेड़ा, खरसन गांव में तीव्र हमले हुए। क्रांति अभियानों से भयभीत अंग्रेज परिवार खरगौन छोड़ इन्दौर

भाग गये। क्रांति को दबाने के लिये महेश्वर व मण्डलेश्वर में कन्टिनजेंट फोर्स तैनात की गयी।

1857 महासंग्राम को अंग्रेजों द्वारा कुचल देने के बाद भी इन बनवासियों ने 1866 तक युद्ध किया। इस संघर्ष में अनेक बनवासी शहीद हुई, कईयों को कालापानी की सजा हुई और कई फाँसी पर लटका दिए गए। इन रणबांकरों की वीर गाथा, इतिहास में अजर-अमर है।

असल में 1857 के महासंग्राम और बनवासियों के इन विद्रोहों का मूल कारण सामाजिक व धर्मिक होने के साथ अंग्रेजों की वह वन नीति भी थी जिसके द्वारा बनवासियों के परम्परागत वनाधिकारों पर अंकुश लगाया गया। अपने फायदे के लिये बनवासियों को उनकी अपनी वनभूमि से बेदखल करने की साजिश रची गयी और इन वनपुत्रों को शस्त्र उठाने के लिये मजबूर कर दिया। फिर क्रांति का लम्बा सिलसिला चला।

मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड व नर्मदा घाटी में प्रमुख केन्द्र थे- सागर, शाहगढ़, गढ़ाकोटा, खुरई, खिमलासा, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, होशंगाबाद, बैतूल, चंदेरी और छतरपुर। मध्यभारत में ग्वालियर, इन्दौर, धार, अमङ्गेरा, महीदपुर, मन्दसौर, नीमच और खरगौन। भोपाल रियासत में नवाब सिकन्दर बेगम अंग्रेजों के पक्ष में होने के बावजूद सीहोर छावनी स्थित फोज ने क्रांति कर सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना की। विंध्य में मनकहरी के ठाकुर रणमत सिंह ने लम्बे समय तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा।

प्रथम स्वाधीनता संग्राम की कमान धामने वाले अग्रणी वीर नायकों में वीरांगना लक्ष्मीबाई, अद्वितीय सेनानी तात्या टोपे, बानपुर के राजा मर्दन सिंह, शाहगढ़ के बखतबली अमङ्गेरा के बछावर सिंह, रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह-रघुनाथ साह, विजय राघवगढ़ के ठाकुर, सरजू प्रसाद,



रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, इंदौर के भगीरथ सिलावट, साआदत खां, हिण्डोरिया के किशोर सिंह, मालवा-निमाड़ के टंट्या भील, भीमा नायक, खाज्या नायक, गढ़ी, अम्बापानी के फाजिल मोहम्मद खाँ और आदिल मोहम्मद खाँ, ग्वालियर के महादेव शास्त्री, अमरचंद बांठिया आदि ने अपने-अपने क्षेत्र से क्रांति की। जब क्रांति ज्वाला को दबाने का सघन अभियान चलाया तब क्रांति के महानायक तात्या टोपे ने लगभग 11 महीनों तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। तात्या टोपे के गुरिल्ला युद्ध का तात्कालिक अंतिम पड़ाव गुना जिले के पाड़ौन के जंगल में ही था लेकिन मानसिंह की गदारी ने अपना इतिहास रचा और महासंग्राम को अस्थाई विराम लगा।

इस तरह बहादुर शाह जफर के उद्घोष “स्वराज्य ही सर्वोत्तम वरदान है।” को

प्राणप्रण से स्वीकारते हुए क्रांतिकारी निरन्तर आगे बढ़े। वीरांगना लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, सेना नायक तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, बानपुर के मर्दन सिंह, शाहगढ़ के बखतबली, अमङ्गेरा के राणा बछावर सिंह, रानी अवंतीबाई, मौलवी अहमदशाह आदि संग्राम के तेजस्वी अग्रणियों के साथ भीमा नायक, खाज्या नायक की तरह अनेक भील-आदिवासी नायकों ने लोकमानस का नेतृत्व किया, अपने बलिदान से आजादी की मशाल जलाई। संघर्ष, शौर्य और कुर्बानियों का ऐसा उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता क्रांति कुछ खामियों से असफल हुई तो अंग्रेजों ने दमन में कोई कसर नहीं रखी। क्रांतिकारियों के शीश काटकर पेड़ों पर लटका दिए गए। फाँसी, मौतें और सजाओं का लम्बा सिलसिला चला।

'Laapataa Ladies': A meaningful engagement with the aspirations of rural Indian women

Neeraj Bunkar

Laapataa Ladies is a significant cinematic contribution in contemporary times due to its thematic engagement with the ever-relevant issue, in this society ingrained with patriarchal values, of women wearing the veil notably without even a single Muslim woman character. The powerful character development of women, who face challenges as the story progresses, adds a refreshing dimension to the narrative. It is about the lost desires of women and how they rediscover themselves and stand up against unfair treatment in a society that favours men. The film is phenomenal because of its thematic motifs, brilliantly woven with narratives that challenge the status quo and celebrate the indomitable spirit of womanhood. Directed by Kiran Rao, the film is about two young brides who, shortly after their wedding, get separated from their husbands during a train journey. As they navigate a strange environment, a case of mistaken identity kicks off a series of catastrophic events. Nitanshi Goel and Pratibha Ranta headline the cast, supported by Sparsh Shrivastav, Chhaya Kadam and Ravi Kishan.

At the heart of the narrative lies the subversion of the veil. Jaya/Pushpa Rani (played by



Pratibha Ranta) exemplifies this defiance. Forced into a nightmarish marriage, she embodies the will to break free from the shackles of a tyrannical institution. Her journey resonates with the universality of feminine desires, often suppressed by societal norms. The film poignantly, as well as satirically, portrays the yearning through Jaya's pursuit of her dreams, reflected in the powerful dialogue, "Don't apologize for having a dream." This simple statement pushes women to reclaim and realize their aspirations.

Laapataa Ladies further expands its canvas by introducing a spectrum of female characters,

each with their own unique struggles and stories. A divorced or abandoned single mother raises her son alone. Now, he's grown into a near-outlaw, often getting caught up in brawls and indulging in drunken nights. Desperate, she goes to the police station to secure his bail. Perhaps she is known in the community as a folk singer, earning her livelihood through her music. Today, she employs her singing as a bargaining chip, negotiating the conditions for her son's release. Manju Maai (Chhaya Kadam), the assertive Bahujan woman, is a testament to the fight against domestic violence. Her defiance against a patriarchal

family structure, seeking solace in the symbolic space of the railway station a constant flow of people in pursuit of their dreams is a powerful metaphor for her own desire for liberation. In her house, the portraits of Bahujan icons Buddha and Dr Ambedkar, the sources of inspiration for her, catch the audience's attention. This is another reason for her fearless, independent and assertive personality. The film's portrayal of Phool Kumari (Nitanshi Goel) serves as a

by societal expectations. Yet, her act of drawing Phool's portrait becomes a catalyst for change, highlighting the power of sisterhood and solidarity.

While some argue that Laapataa Ladies, with its light-hearted satirical approach, sidesteps a deeper exploration of the multifaceted nature of patriarchy in rural India, I argue that the film's strength lies in its accessibility. By weaving its message through relatable characters and engaging

Laapataa Ladies is a call to action to recognize our normalized problematic surroundings and to make it equitable and accessible at the earliest for everyone irrespective of caste, class, gender and other respective social and cultural associations. It compels us to recognize the strength and resilience of women, while simultaneously urging us to dismantle the structures that perpetuate their oppression. The film serves as a springboard for further exploration, inviting viewers to delve deeper into the complexities of gender relations and advocate for a world where women can truly flourish, free from the constraints of patriarchy.


As Laapataa Ladies gets critical acclaim, it is essential to address certain aspects concerning its portrayal of rural dynamics, labour division, and the interaction among women from different caste groups. The film appears to underutilize these elements, particularly in depicting a patriarchal society where women, despite being victims themselves, often take pride in their "upper-caste" status and treat women from "lower castes" with disdain and, rather than fostering solidarity across caste lines, they tend to reinforce divisions.



poignant reminder of the limitations placed upon women. Naive and conditioned to fulfil prescribed gender roles, she represents the potential that lies dormant within many women. However, her exposure to the world through the tea stall and her interactions with Manju Maai spark a transformation. The artistic talents of Phool's sister-in-law, sacrificed at the altar of marriage, symbolize the countless dreams extinguished

storytelling, the film ensures that its message finds resonance with a wider audience. The seemingly rushed ending can be interpreted as a deliberate choice, leaving to the audience's imagination the characters' journeys beyond the confines of the narrative. The film's absolute strength is in its ability to accentuate conversations, prompting viewers to critically examine the social and gender dynamics that shape our world.

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...



विनीत :

**भोरमदेव सहकारी
शक्फर कारखाना
मर्यादित**

कवर्धा, जिला-कबीरधाम, छगा

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...

विनीत :

सरदार वल्लभ भाई पटेल

सहकारी शक्फर कारखाना मर्यादित

**पण्डरिया, कवर्धा,
जिला-कबीरधाम,
छगा**